अध्याय 1: परिचय

1.1 उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में 5.95 प्रतिशत वन आवरण एवं करीब 19 करोड़ जनसंख्या है (2009)। कम वन क्षेत्र होने के कारण वनों पर अत्याधिक जैविक दबाव पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना (UPPFMPAP) जैसे प्रयासों की आवश्यकता हुई है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के तराई, बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्रों के 20 प्रभागों में चल रही है। इस परियोजना में चयनित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं। उनमें अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं और अपनी जीविका के लिए काफी हद तक वनों पर निर्भर रहते हैं। इस परियोजना के माध्यम से सहभागी वन प्रबन्ध एवं वनों पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ाया जाना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं–

- अवनत वनों का जीर्णोद्धार एवं वन संसाधनों का संवर्द्धन।
- समुदायों और अन्य पक्षों को संगठित कर संपोषणीय वन प्रबंधन सुनिश्चत करना।
- वन्यजीवों का संरक्षण एवं बेहतर देखभाल।
- लक्षित वनाश्रितों की आय में सुधार एवं उनके लिए जीविकोपार्जन का विकल्प ढूंढना।

जैसा कि उपर स्पष्ट कर दिया गया है कि वनाश्रित समुदायों में गरीबी उन्मूलन इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और ऐसी उम्मीद है कि इन समुदायों की जीविका में सुधार से अवनत वनों के जीर्णोद्धार में योगदान मिलेगा। दरअसल दोनों ही उद्देश्य काफी जुड़े हुए हैं और इसका आधार ही सक्रिय सामुदायिक भागीदारी है। ग्रामीणों में परियोजना के प्रति उत्पन्न स्वामित्व की भावना ही इस परियोजना की सफलता की कुंजी होगी। वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता के लिए उन्हें इस प्रकार से संगठित करना होगा कि वे प्रकृति के साथ स्नेहपूर्ण तालमेल स्थापित कर स्वयं के विकास के लिए समर्थ बन जायें। परियोजना के तहत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन (ज्वाइंट फारेस्ट मैनेजमेंट) और पारिस्थितिकी विकास (इको डेवलपमेंट) की पहल अपनायी गयी है।

1.2 परियोजना में समुदाय की भूमिका

परियोजना में संयुक्त वन प्रबन्ध अर्थात् ज्वाइन्ट फारेस्ट मैनेजमेंट (जे0एफ0एम0) और

<u>परियोजना में समुदाय आधारित समूहों का विवरण</u>

जे0एफ0एम0सी0 (संयुक्त वन प्रबंधन समिति) – 800
ई0डी0सी0 (पारिस्थितिकी विकास समितिं) 140
एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) – 3760
एसएचजी कंर्सोशियम – 20 (प्रत्येक में न्यूनतम 10 एसएचजी)
एसआईजी (विशेष हित समूह) – संख्या का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। चुने हुए संरक्षित क्षेत्र अर्थात् प्रोटेक्टेड एरिया (पी ए) में पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र की देखभाल के लिए विशेष समूह होंगे।

पारिस्थितिकी विकास अर्थात् इको डेवलपमेंट की पद्धति अपनायी गयी है। परियोजना अन्य राज्यों में वन संरक्षण में स्थानीय समुदाय का साथ लेने तथा उनकी जीविका में वृद्धि करने के चल रहे प्रयासों की तर्ज पर है। वन आश्रित समुदायों को जे0एफ0एम0सी0 (संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों) और ई0डी0सी0 (पारिस्थितिकी विकास समितियों) के रूप में संगठित किया जाएगा जो अपने वनों एवं वन्यजीवों की उपयुक्त सुरक्षा, संपोषणीय उपयोग तथा उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए वन विभाग के साथ करार करेंगीं। विशेषज्ञों और अन्य संबंधित वन अधिकारियों के तकनीकी सहयोग से जे0एफ0एम0सी0 तथा ई0डी0सी0 सूक्ष्म योजनाएं बनाएंगी तथा उसी के आधार पर परियोजना प्लान की रूपरेखा तय होगी। जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 को कार्य सौंपा जाएगा और इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए उन्हें आवश्यक धन मुहैया कराया जाएगा। परियोजना के तहत लगायी जाने वाली प्रजातियों का निर्धारण जे0एफ0एम0सी0 द्वारा आवश्यकता के हिसाब से किया जाएगा, इसमें गैर प्रकाष्ठ वन उपज (एनडब्ल्यूएफपी) प्रजातियां और चाराघास पर विशेष बल दिया जाएगा। जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 के अंतर्गत छोटे छोटे कार्यदल बनाएं जायेंगे जो विशेष जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। परियोजना के तहत सामुदायिक विकास के लिए जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 के तहत निर्धारित विभिन्न उप कार्यदल इस प्रकार है

%	Percentage
BPL	Below Poverty Line
CBOs वनदरोगा	Community Based Organizations
DFO	Divisional Forest Officer
DLAC	District Level Advisory Committee
DMU	Divisional Management Unit
EDC	Eco Development Committee
EOC	Extension Office Coordinator
EPA	Entry Point Activities
FD	Forest Department
FGD	Focussed Group Discussion

चित्र 1. समुदाय कार्यदल [डब्लूजी का अर्थ वर्किंग ग्रुप (Working Group) अर्थात् कार्यदल है]

जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 केवल मजदूर प्रदाता नहीं होंगे बल्कि वे परियोजना की आत्मा होंगे, वे परियोजना को लागू करने वाले होंगे, जो योजना बनाएंगे और गतिविधियां संचालित करेंगे। जे0एफ0एम0सी0 को वन क्षेत्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये ऐसे वन क्षेत्र होंगे जो ग्राम वन के रूप में अधिसूचित होंगे जहां समुदाय के सदस्य कई अधिकारों का उपभोग करेंगे। समुदाय से आशा है कि–

- वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा करें।
- जैव–विविधिता का संरक्षण करें।
- वनों को आग, प्राकृतिक आपदा एवं शिकार से बचाएं।
- परियोजना क्रियान्वयन में मदद करें।
- वन, जैव–विविधता विकास तथा संरक्षण से संबंधित अन्य विकास कार्य में मदद करें।

1.3 संयुक्त वन प्रबन्ध (जे0एफ0एम0) : एक परिचय

भारत में वन प्रबन्ध व्यवस्था में पिछले 150 सालों में काफी बदलाव आया है, जहां पहले वनों का प्रबन्ध और विकास का जिम्मा पूरी तरह राज्य का था वहीं अब इस कार्य में वनाश्रित समुदाय हिस्सा ले रहे हैं। इसी व्यवस्था के विकसित होने के दौरान जे0एफ0एम0 की अवधारणा अस्तित्व में आयी। इसका अंकुरण पश्चिम बंगाल के आराबारी में हुआ तथा इसे 1988 की वन नीति में स्थान दिया गया एवं बाद में 1990 में राष्ट्रीय जे0एफ0एम0 निर्देशिका के जरिए इसे एक संस्थानात्मक रूप प्रदान किया गया। नीति में वनों के उपयोग एवं सुरक्षा में लोगों की सहभागिता को पहचान मिली और सुझाव दिया गया कि वन समुदायों को राज्य वन विभागों के साथ मिलकर वनों का विकास एवं संरक्षण करना चाहिए। यह वन विभाग के कामकाज में मूलभूत बदलाव का परिचायक था और इससे इस बात की भी पुष्टि हो गयी कि विभाग वनों और वन में रहने वालों के बीच गहरे संबंधों को समझने के लिए कटिबद्ध है। जे0एफ0एम0 कार्यक्रम फिलहाल राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के दो करोड 20 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में 106,482 जे0एफ0एम0सी0 (संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों) द्वारा चलाए जा रहे हैं।

जे0एफ0एम0 एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वनों और उसके आसपास रहने वाले समूहों और वन विभाग के बीच पारस्परिक विश्वास के आधार पर साझेदारी होती है और इसमें वन सुरक्षा एवं विकास के लिए दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियां संयुक्त रूप से परिभाषित होती हैं। दोनों के बीच

वन प्रबंधन की जिम्मेदारी और उनसे मिलने वाले लाभों में साझेदारी होती है। समुदाय वन विकास गतिविधियों, स्थल चयन, पौधरोपण के लिए प्रजातियों के चयन, वन सुरक्षा आदि कार्यों में हिस्सा लेता है और उनमें स्वामित्व का बोध पैदा होता है।

1.4 उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित की गयी है और इस परियोजना पर इसके नियम लागू होंगे। इस नियमावली के तहत वनाश्रित परिवारों की पहचान, वन उपयोगकर्ता समूह और जे0एफ0एम0सी0 के गठन तथा नियम 4 के तहत उनके लिए वन संबंधित कार्यकलाप शुरू करने के तौर तरीके बताये गये हैं। (उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 संलग्न है)।

1.5 इको डेवलपमेंट (पारिस्थितिकी विकास) संकल्प, 1999

उत्तर प्रदेश पारिस्थितिकी प्रस्ताव संरक्षित क्षेत्रों और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने और वनों और लोगों के बीच नकारात्मक प्रभाव घटाने के लिए यह संकल्प निर्देश तय करता है। इस संकल्प का लक्ष्य संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में सुधार करना और जैव–विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देना है।

1.6 मार्गदर्शिका की आवश्यकता और उद्देश्य

इस परियोजना में समुदायों की भूमिका को जो महत्व दिया गया है, उसके लिए आवश्यक है कि समुदायों को सफलतापूर्वक संगठित करने के लिए प्राविधि, सहायता सिद्धांत और क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश तय किए जायें। समुदाय को संगठित करने से संबंधित मार्गदर्शिका का उददेश्य डी0एम0यू0 (प्रभागीय प्रबंधन इकाइयों) तथा एन0एस0ओ0 (एन0जी0ओ0 सहायता संगठन) को सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण में सहायता पहुँचाना है। यह कार्य एफ0एम0यू0 (क्षेत्र प्रबंधन इकाइयों) और पी–एन0जी0ओ0 (पार्टनर एन0जी0ओ0) के कर्मियों तथा एनीमेटरों द्वारा किया जाएगा ताकि परियोजना के लिए मजबूत आधार डाला जा सके और यह सही मायने में सहभागिता बने। मार्गदर्शिका से उपयोगकर्ताओं को परियोजना में समुदाय को संगठित करने का अर्थ, उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता समझ में आएगी। इससे उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि सामुदायिक संगठन निर्माण की प्रक्रिया सही दिशा में बढ. रही है जिससे परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा, इससे मजबूत सामुदायिक संगठन का सृजन सुनिश्चित होगा जो परियोजना के परिणामों और प्रभावों को संपोषणीयता प्रदान करेंगे।

1.7 मार्गदर्शिका के उपयोगकर्ता

इस मार्गदर्शिका के प्राथमिक उपयोगकर्ता डी0एम0यू0, एन0एस0ओ0, पी0एम0यू0 तथा अन्य परियोजना प्रबंधन एवं क्रियान्वयन एजेंसियाँ हैं। यह अभिलेख इन हितधारकों द्वारा निर्णय लेने के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आएगा, साथ ही नीति नियोजन और क्रियान्वयन पहलुओं के संदर्भ में भी काम आएगा जहाँ स्पष्टीकरण और समझ की आवश्यकता है।

अध्याय 2: परियोजना के हितधारक (साझेदार) अर्थात् स्टेकहोल्डर

इस परियोजना में कई हितधारक हैं लेकिन समुदाय को संगठित करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से एफ0एम0यू0 कर्मचारियों एवं पी–एन0जी0ओ0 के कंधों पर होगी और इसमें उन्हें जमीनी स्तर पर एनिमेटरों का सहयोग मिलेगा। पी0एम0यू0, डी0एम0यू0 के साथ एन0एस0ओ0 की जिम्मेदारी होगी कि समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन, दिशा निर्देश दें और प्रगति की समीक्षा करें।

विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ नीचे दी गयी है–

2.1 पी0एम0यू0 और पी0एम0सी0

- सामुदायिक संगठन के गठन के संबंध में मार्गदर्शिका, मार्गदर्शी पुस्तिका और हस्तपुस्तिका के विकास का निरीक्षण करना।
- समुदाय को संगठित एवं एकजुट करने के लिए रणनीति तैयार करना।
- सामुदायिक संगठन, निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण और उनको मजबूत करने के लिए तंत्र तैयार करना।
- समुदाय को संगठित करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर समीक्षा करना।
- डी0एम0यू0, एफ0एम0यू0, पी–एन0जी0ओ0, एनिमेटरों और जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 सदस्यों के क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम चलाना।
- एनिमेटरों के कौशल संवर्द्धन हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित करना।
- एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 को समुदाय को संगठित करने और एकजुट करने के लिए नियमित दौरों के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 के गठन में कानूनी और प्रक्रियागत मार्गदर्शन करना।

2.2 डी0एम0यू0

- एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 को समुदाय को संगठित करने और संगठन बनाने में तथा समुदाय आधारित संगठनों के क्षमता विकास में मार्गदर्शन करना।

- पी–एन0जी0ओ0 और एफ0एम0यू0 द्वारा तैयार सामुदायिक संगठन निर्माण की योजना को ग्रामवार मंजूरी और समीक्षा।
- सामुदायिक संगठन निर्माण की प्रगति पर एफ0एम0यू0 से प्राप्त सूचनाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मूल्यांकन करना तथा पी0एम0यू0 को रिपोर्ट से अवगत कराना।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 के पंजीकरण हेतु कार्यवाही करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 वन अधिनियमों और नीतियों के अनुरूप ही काम कर रही है।
- एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 की प्रगति का अनुश्रवण करना और जब भी सुधार या बदलाव की जरूरत महसूस हो तब उन्हें निर्देश देना।

2.3 एन0एस0ओ0

- समुदाय को संगठित करने में डी0एम0यू0, एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- समुदाय संगठन प्रक्रिया के लिए पी–एन0जी0ओ0 और एनिमेटरों के कौशल निर्माण में मदद करना।
- पी–एन0जी0ओ0 और एनिमेटरों की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें विशिष्ट मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करना।

2.4 विस्तार कार्यालय समन्वयक (एक्सटेंशन ऑफिस कोऑर्डिनेटर)

- समुदाय को संगठित करने के लिए डी0एम0यू0 और एफ0एम0यू0 को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- समुदाय संगठन की ग्रामवार योजना तैयार करने में पी–एन0जी0ओ0 को मदद पहुंचाना।
- समुदाय को संगठित करने की प्रक्रिया में सहयोग के लिए क्षेत्र का दौरा करना।
- समुदाय को संगठित करने विशेषकर जे0एफ0एम0सी0सी और ई0डी0सी0 के गठन की प्रगति के अनुश्रवण में डी0एम0यू0 को सहयोग करना।

2.5 एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0

- समुदाय को संगठित करने की ग्रामवार योजना तैयार करना।
- यूपीपीएफएमपीएपी और उसके लाभों को लेकर जन–जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- पी0एम0यू0 और परियोजना परामर्शदात्री द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंड के आधार पर हर गांव में एक एनीमेटर का चयन करना।
- गांव में वनों का उपयोग करने वालों और उस पर निर्भर रहनेवालों की पहचान करना तथा उनका समूह बनाना।
- वन संसाधनों पर निर्भर रहने वालों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और निर्भरता की प्रकृति की पहचान करना।
- जे0एफ0एम0सी0 /ई0डी0सी0 के गठन के लिए कोर समूह के गठन में मदद करना।
- इस परियोजना पर समुदायों की आम सहमति हासिल करने के लिए ग्रामीणों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैंठकें करना।
- वन विभाग में जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 के पंजीकरण के लिए कागज़ात तैयार करना।
- जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 के सुचारू रूप से गठन एवं कामकाज को सुगम बनाना।
- मासिक लक्ष्य, निर्धारित जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ हर जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 के लिए वार्षिक कार्ययोजना को सुगम करना।

2.6 एनीमेटर्स

- समुदाय को संगठित करने, एकजुट करने तथा सूक्ष्म योजना के विकास के लिए आधार तैयार करने हेतु मार्ग प्रशस्त करने में मदद करना।
- वनाश्रित परिवारों की पहचान एवं तथा उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं की पहचान में सहायता पहुंचाना।
- परियोजना के लिए आम सहमति तैयार करने के लिए ग्रामीणों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें आयोजित करना।

- वन उपयोगकर्ता समूह और जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 के गठन के लिए उपयुक्त सदस्यों की पहचान में मदद करना।
- विभिन्न हितधारकों खासकर गांव के पिछड़े वर्गों की जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 गतिविधियों और संपूर्ण रूप से परियोजना में सहभागिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 और स्वयं सहायता समूह में कार्यकारी समूहों के लिए कौशल निर्माण कार्यक्रम में सहायता देना।
- एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 को मतभेद समाधान में मदद करना।

यह सुझाव दिया जाता है कि परियोजना क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए एनीमेटरों के चयन में महिलाओं को वरीयता दी जाए।

2.7 जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 सदस्य

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 का गठन समुदाय संगठन प्रक्रिया के काफी बाद के चरण में होगा लेकिन इस गठन के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 की समुदाय को एकजुट बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका एवं जिम्मेदारी होगी ताकि निम्नलिखित कार्य और निर्णय लिए जा सकें–

- गांव के स्तर पर परियोजना गतिविधियों में नेतृत्व प्रदान करना।
- वन प्रबंधन और ग्राम विकास पर चर्चा करने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें करना।
- सरकार की अन्य विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का इस परियोजना के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय और संपर्क बनाए रखना।
- वन के प्रबन्ध एवं ग्राम विकास के लिए सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन करना।

2.8 पंचायती राज संस्थाएं

यह व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना कठिन है कि इस परियोजना में पंचायती राज संस्थाओं की क्या और कैसी भूमिका होगी लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। देश के विभिन्न राज्यों में उनकी भागीदारी अथवा उसकी कमी

जे0एफ0एम0 की सफलता या विफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। परियोजना का लक्ष्य सरकार की अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का परियोजना के साथ तालमेल स्थापित करना है जो कि पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी या सहयोग के बिना संभव नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को जिन कुछ जिम्मेदारियों को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, वे निम्नांकित हैं–

- परियोजना को समझने (विशेषकर सामुदायिक विकास एवं जीविका सुधार गतिविधियों की समझ विकसित करने) के लिए परियोजना की बैठकों में भाग लेना।
- समुदाय को संगठित करने में सहयोग करना तथा अपने पद का उपयोग करते हुए उसे परियोजना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना।
- समुदाय की तत्काल जीविका संबंधी समस्याओं का समाधान ढूँढने में सहयोग करना।
- वन पर आश्रित परिवारों को चिन्हित करने में मदद करना।
- वन उपयोगकर्ता समूह, जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना।
- परियोजना के कियान्वयन के लिए गांव में सकारात्मक एवं अनुकूल माहौल तैयार करने को सुगम बनाना।

इस परियोजना में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति भी गठित की जानी है ताकि सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का इस परियोजना के साथ तालमेल के माध्यम से परियोजना ग्रामों का संपूर्ण विकास एवं गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित हो सके।

समुदायों के सदस्यों को जे0एफ0एम0सी0 एवं ई0डी0सी0 के अलावा स्वयं सहायता समूहों के रूप में भी संगठित किया जायेगा। ये स्वयं सहायता समूह वस्तुतः जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 के उप–दल होंगे। स्वयं सहायता समूहों के गठन और उसकी विधियां इस दिशानिर्देश में शामिल नहीं क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए एक पृथक दिशानिर्देश, नियमावली एवं पुस्तिका प्रसारित की जा रही है।

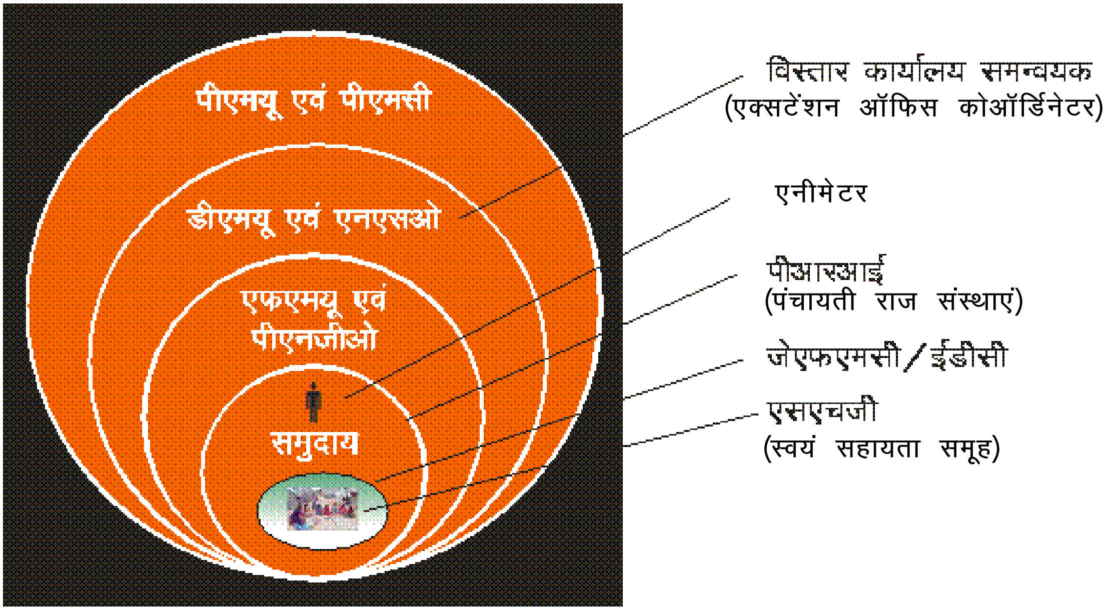

चित्र 2. हितधारक और जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0/स्वयं सहायता समूह के साथ उनके संबंध

अध्यान 3 : समुदाय को संगठित करने के मूल तत्व

3.1 परिभाषा

समुदाय को संगठित करने की एक आसान परिभाषा यह है कि यह एक दीर्घकालीन पहल है जहां किसी मुददे से प्रभावित लोग एक संस्थानात्मक प्रबन्ध के तहत एक साथ लाए जाते हैं और उन्हें समस्याओं की पहचान तथा उनका समाधान करने के लिए कदम उठाने में मदद की जाती है।

3.2 सिद्धांत

कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो समुदाय को संगठित करने के मानक होने चाहिए। वे इस प्रकार हैं–

- लोकतंत्र
- सहभागिता (साझेदारी)
- सशक्तिकरण
- महिला–पुरूष संतुलन
- पिछडे वर्ग की भागीदारी
- पारदर्शिता
- ईमानदारी
- संपोषणीयता
- आत्मनिर्भरता
- गरीबी उन्मूलन

यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा कि इन सिद्धांतों का समुदाय को संगठित करने की पूरी प्रक्रिया में पालन हो।

3.3 उद्देश्य

किसी भी समुदाय का संगठन एक विशेष लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ किया जाता है। संगठित करने का काम या तो कोई निर्णय लेने के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिससे कुछ लक्ष्य प्राप्त हों। संगठन का निर्माण और उसकी मजबूती उसके सदस्यों के लिए ठोस और गणनीय लाभ के लिए होनी चाहिए अन्यथा यह लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उद्देश्य यह नहीं होता है कि समुदाय को केवल ऐसी बैठकों के लिए संगठित किया जाए जहां मुख्य बल उनकी बैठकों में भागीदारी तथा चर्चा मात्र हो एवं कोई ठोस परिणाम सामने न आयें। कृपया ध्यान रखिए कि लोग परिणाम और ठोस लाभ देखना चाहते हैं और यही वजह है कि वे उसमें भाग लेते हैं।

3.4 नियम

1. लोग बैठक में आएंगे यदि उनके वहां आने के उपयुक्त कारण नजर आयें।

आपने कई सामुदायिक बैठकों में देखा होगा कि लोग कम हैं या बैठक में भाग नही ले रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योकि बैठक का उद्देश्य लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए बैठक का उद्देश्य लोगों के सम्मुख पहले ही स्पष्ट कर देना होगा और बैठक की रूपरेखा इस प्रकार बनायी जाए कि उसके फैसले सार्थक हों तथा सहभागियों के लिए प्रासांगिक हों। बैठकें अंतर–संवादी और सहभागी होंगी जहां दोनों ओर से संवाद हों। नियमानुसार हर बैठक से क्या हासिल किया जाना है और किन–किन विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जायेंगे, इस पर स्पष्टता होनी चाहिए।

2. लोग जब बैठक के बारे में जानेंगे तभी वहाँ आयेंगे।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यह उस प्रकार के क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रासांगिक है जहां परियोजना शुरू की गयी है। आप ये भली भांति जानते होगें कि इन क्षेत्रों में गाँव जातियों एवं कबीलों के आधार पर टोलों में बँटे होते हैं और सामान्यतः पिछडे वर्गों के लोग गाँव के बाहर टोलों/पूरवों में बसे होते हैं। ये ऐसे वर्ग हैं जिनको इस परियोजना की सबसे ज्यादा आवश्यकता है लेकिन अक्सर होता यह है कि बैठकों की सूचना इन वर्गों तक नहीं पहुँच पाती या बहुत देर से पहुँचती है या उन्हें बैठक के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जाता है। फलस्वरूप बैठकों में उपस्थिति बहुत कम होती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए बैठकों में उपस्थिति अच्छी हो, खासकर लक्षित समूह के सदस्यों

की अच्छी भागीदारी हो, इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। इससे लक्षित वर्ग के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। किसी भी बैठक की सूचना सभी परिवारों को समय से पूर्व देनी होगी और सही तरीके से देनी होगी।

3. पिछड़े वर्ग के लोग बिना किसी खास प्रयास के बैठक में नहीं आएंगे।

सामान्यतः समुदाय भिन्न–भिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तरों वाले सदस्यों का समूह होता है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग इन बैठकों में बहुत कम आते हैं, और यदि आते भी हैं तो बैठक में सक्रियता से भाग नहीं लेते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए तथा विशेष प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बैठकों में आयें। उन्हें भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए उनकी सार्थक भागीदारी हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा।

4. संगठन हमेशा चक्रीय एवं विकासशील होना चाहिए।

यदि कोई संगठन आगे नहीं बढ़ता है तो वह समाप्त हो जाता है, यह सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है। समुदाय आधारित संगठनों पर भी यह लागू होता है जिन्हें इस परियोजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 प्रारम्भ में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा पोषित होगें और उनमें वन प्रबंधन, पारिस्थितिकी विकास कार्य तथा सामुदायिक विकास एवं जीविका सुधार गतिविधियों की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता क्रमिक रूप से विकसित की जाएगी। जिन मुददों पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वे लोगों के कल्याण के लिए प्रासंगिक होने चाहिए और संगठन अपने कामकाज में लोकतांत्रिक स्वभाव वाला होना चाहिए। कामकाज हमेशा इस तरह किया जाना चाहिए कि हमेशा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो एवं उनका समाधान ढूँढा जाए। नेतृत्व चक्रवत होगा तथा जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 हमेशा लोगों तक पहुँचने का प्रयास करें।

5. कोई भी नेतृत्व कर सकता है।

अन्य परियोजनाओं के समान इस परियोजना में भी ऐसे व्यक्तियों एवं समूहों की अहम भूमिका होगी जिनमें नेतृत्व के गुण मौजूद एवं विकसित हों। अतः ऐसे व्यक्तियों एवं समूहों को चिन्हित करते हुये परियोजना में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं सहायता प्राप्त करना परियोजना की सफलता में विशेष सहायक होगा। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को परियोजना कार्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिए समझाया जाए, तैयार एवं प्रेरित किया जाए और उनके अच्छे कार्यों एवं सार्थक प्रयासों की प्रशंसा की जाए।

6. सबसे बड़ी विजय तो दल ही है।

यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जे0एफ0एम0सी0, ई0डी0सी0 तथा स्वयं सहायता समूह के मामलों में समूह का गठन, सुचारू कामकाज तथा विकास ही स्वयं में बहुत बड़ी उपलबधि हैं। समुदाय को संगठित करते समय एक ऐसे दल की आशा है जो आत्मनिर्भर हो, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित हो, अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखता हो और वृहद समाज के लिए सकारात्मक योगदान करता हो।

7. लघु उपलब्धियों को भी प्रेरणा का स्रोत बनायें

यूपीपीएफएमपीएपी का लक्ष्य वनों की स्थिति तथा उन पर निर्भर रहने वालों की जीविका में सुधार है। आप इस बात से सहमत होंगे कि यह आसान कार्य नहीं है लेकिन परियोजना के उद्देश्य की ओर छोटे और आसान लक्ष्यों से यात्रा प्रांरभ की जा सकती है और हर लक्ष्य की आंशिक प्राप्ति भी समुदाय हेतु प्रेरणास्रोत का आधार है।

3.5 अन्य स्मरणीय बातें

- यह परियोजना वर्ष 2016 तक चलेगी और यह आशा है कि इस परियोजना में बनाये गये सामुदायिक संगठन परियोजना काल के बाद भी सक्रिय रहेंगे तथा वन एवं सामुदायिक विकास से सम्बन्धित समस्त उत्तरदायित्व निरन्तर रूप से निभाते रहेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि समुदाय के संगठन के प्रथम दिवस से ही ऐसी रणनीति पर कार्य सम्पादित हो जो समुदायों की क्षमता का समुचित विकास करते हुये उनको सामाजिक व आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बना सके।

- सामुदायिक संगठन की विशेषता उसके द्वारा सृजित स्वयंसेवकों (एनीमेटरों) का सचलीकरण है। वन विभाग के स्टाफ की भूमिका स्वयंसेवकों को प्रभावशाली बनाने में मदद करने, जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 के क्षमता का विकास करने तथा समूहों को स्वयं काम करने एवं अपने सदस्यों की भलाई के लिए क्रियाशील बनाने के लिए प्रणाली तैयार करने तक सीमित है।

- कर्मचारी और विशेषज्ञ, जो समुदाय को संगठित और एकजुट करेंगे, परियोजना के सभी अवधारणा संबंधी विवरण एवं संयुक्त वन प्रबंधन/पारिस्थितिकी विकास के तत्वों से अच्छी तरह अवगत हों।

- एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 कर्मचारियों को समुदाय को संगठित करने एवं एकजुट करने में अच्छी तरह प्रशिक्षित करना होगा।
- समुदाय को संगठित करने में एक समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल होगा क्योंकि हर गांव की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों के अनुसार रणनीतियाँ और नजरिये बदलते रहेंगे।
- गांव में सभी दौरे और बैठकें एक प्रक्रिया का हिस्सा होंगी जिससे परियोजना उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। तात्पर्य यह है कि सभी दौरों और बैठकों का कोई निश्चित उद्देश्य और एजेंडा होगा और इसमें पिछली बैठकों और दौरों में मिली प्रगति/कमियों की समीक्षा की जाएगी।
- समुदाय संगठन की सफलता केवल गठित जे0एफ0एम0सी0 या ई0डी0सी0 की संख्या से नहीं बल्कि निर्धारित संकेतक के अनुसार कामकाज से मापी जाएगी और इस कामकाज का समय समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।
- समुदाय संगठन की संपूर्ण प्रकिया का उपयुक्त तरीके से वृतचित्र तैयार किया जाएगा ताकि संस्थानात्मक शिक्षण को बढ़ावा मिले और सफल प्रारूपों को दोहराया जा सके।

अध्याय 4: परियोजना एवं समुदाय

4.1 समुदाय को समझना

परियोजना चयनित 20 वन प्रभागों में अधिसूचित वन भूमि और उसके आस–पास के गाँवों के समुदायों पर लक्षित है। ये 20 वन प्रभाग राज्य के 14 जिलों में फैले हुए हैं। इनमें से अधिकतर जिले राज्य की मानव विकास रिपोर्ट–2006 की एच0डी0आई0 / मानव विकास सूचकांक / रैकिंग के अनुसार बहुत ही निचले पायदान पर हैं। इन जिलों में 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 0.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और 48.1 प्रतिशत अर्थात् करीब आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। इन जिलों में साक्षरता दर भी खासकर महिला साक्षरता भी काफी नीचे है, ललितपुर जिले में तो 32.97 प्रतिशत है। लक्षित गांवों में साक्षरता का स्तर जिला औसत से भी काफी नीचे है।

लक्ष्यांकित जनसंख्या के जनसांख्यिकी लक्षणों को भी समझना नितांत आवश्यक है क्योंकि इससे परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं उसके उददेश्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय को संगठित करने के लिए रणनीतियां तैयार करने में सहायता मिलती है।

4.2 समुदाय को संगठित करने की आवश्यकता

वनाश्रित समुदायों पर स्पष्ट ध्यान दिये जाने और उनकी भागीदारी एवं सहभागिता पर केंद्रित सारी पहल के साथ ही यह अनिवार्य हो जाता है कि समुदाय को विशेष रूप से जागरूक, ऊर्जावान एवं सशक्त बनाया जाए तथा उपयुक्त रूप से संगठित किया जाए। इससे परियोजना को बुनियादी मजबूती मिलेगी और वांछित तथा पोषणीय परिणाम मिलेंगे। ऐसी योजना है कि 60,300 हेक्टेयर वन क्षेत्र का समुदायों और वन विभाग द्वारा 800 जे0एफ0एम0सी0 के माध्यम से विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रबंधन किया जाएगा। पांच वन्यजीव प्रभागों में पारिस्थितिकी विकास के लिए 140 नयी ई0डी0सी0 गठित होंगी। इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए समुदायों को संगठित करने और उनकी आवश्यक क्षमताओं का समुचित विकास करने की आवश्यकता है।

अब सवाल उठता है कि समुदाय को कैसे संगठित किया जाए। डी0एम0यू0 अधिकारी या एन0एस0ओ0 विशेषज्ञ के रूप में आप एक महत्वपूर्ण स्थिति में है जहां से समुदाय को संगठित करने की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और अनुश्रवण किय जा सकता है। आप सबको यह अहसास अवश्य होना चाहिए कि समुदायों की इस परियोजना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है जिस कारण उन्हें अत्यंत सावधानी एवं कुशलता से संगठित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है।

लेकिन, थोडा ठहरिए..........................समुदाय को संगठित करने की वास्तविक प्रक्रिया

शुरू करने से पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे और स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करेंगे कि इस परियोजना से समुदायों को क्या मिलने जा रहा है। यद्यपि ये उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित है लेकिन उन्हें सूचीबद्ध कर दिया जाना अच्छा होगा।

4.3 परियोजना की प्रासंगिकता एवं समुदाय को नियोजित लाभ

वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले समुदायों का जीवन वनों से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। परियोजना में इस बात को बखूबी समझा गया और समुदाय की आवश्यकता के अनुसार उसका डिजाइन तैयार किया गया जो इस प्रकार है :

- 60,300 हेक्टेयर क्षेत्र वनक्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और उनका प्रबंधन जे0एफ0एम0 के माध्यम से हो।
- वन विकास एवं प्रबंधन कार्य समुदायों को दिए जाएंगे। इनमें पौधारोपण, मृदा आर्द्रता (नमी) संरक्षण, जल निकास नालियों का उपचार, अग्नि रेखा निर्माण और नियोजित गश्त आदि शामिल हैं।
- नर्सरी का काम समुदायों को सौंपना और पौधों के बडे हो जाना पर उन्हें खरीद लेना।
- ई0डी0सी0 –गश्त, मृदा आर्द्रता (नमी) संरक्षण, सीमांकन तथा पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास।
- ईधन एवं चारा प्रजातियों का पौधारोपण
- जे0एफ0एम0 समुदायों द्वारा प्रजातियों का चयन
- इमारती लकड़ी, तेंदू और बांस तथा अन्य एनडब्ल्यूएफपी (गैर प्रकाष्ठ वन उपज) जिनमें औषधीय पौधे आदि शामिल हैं, का लाभ उठाना तथा लाभ को यूपीवीएफजेएम नियमावली, 2002 के अनुसार आपस में बांटना।
- प्रवेश बिन्दु गतिविधियां– इसमें 11 महत्वपूर्ण कार्यकलाप शामिल हैं। मौजूदा जे0एफ0एम0सी0 के लिए 90000 रूपए तथा नयी जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 के लिए 180000 रूपए की सहायता।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन
- स्वयं सहायता समूह के लिए प्राविधान–100000 रूपए का पूंजीगत कोष, 10000 रूपए का सहायता कोष, संस्थानात्मक संपर्क का विकास, विपणन सहायता।

- स्वयं सहायता समूह संघ का गठन
- स्वयं सहायता समूह के लिए प्राविधान– सुविधाओं के निर्माण के लिए 5 लाख रूपए तथा 25 हजार रूपए प्रारंभिक पूंजी के रूप में।
- ऋण की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय एवं लघु वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क।
- मूलभूत मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए जीविका सहायता गतिविधियां।
- स्वदेशी चिकित्सकों और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समूहों का संवर्द्धन।
- ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी का विकास।
- ग्राम राजगीरों का विकास।
- सूक्ष्म बीमा को बढ़ावा।
- स्कूल भवनों का विस्तार।
- लिंक मार्गों में सुधार।
- बायोगैस एवं उन्नत स्टोव का संवर्द्धन।
- सौर लैंप का प्राविधान।
- पेयजल सुविधाओं में सुधार।

यह सूची व्यापक प्रतीत होती है लेकिन परियोजना क्रियान्वयक के रूप में आपको बहुत सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। इन लाभों को समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए। नियोजित एवं लक्ष्यांकित लाभों के बारे में समुदायों को जानकारी और समझ उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रारम्भ के साथ ही धीरे–धीरे महसूस करवाया जाए। परियोजना कर्मियों एवं विशेषज्ञों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

4.4 समुदाय को संगठित करने की तैयारी

आपको यह ज्ञात ही होगा कि समुदाय को संगठित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 की है। दोनों को आपके सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन में काम करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निर्धारित कार्यों को तन्मयता एवं कुशलतापूर्वक करें, आपको समुदाय को संगठित करने से पहले निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना होगा –

- समुदाय के संगठन को संपादित एवं प्रेरित करने वाले एफ0एम0यू0 तथा पी0एन0जी0ओ0 के समस्त स्टाफ की भूमिकायें एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए तथा कार्यक्षेत्र में भ्रमों के उत्पन्न होने से बचने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को इनकी अच्छी, अंदरूनी एवं परस्पर समझ होनी चाहिए।
- संबंधित परियोजना कर्मियों को परियोजना के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देने से पूर्व स्वयं भी परियोजना के हर पहलू को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
- परियोजना के तहत निर्धारित सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कर्मचारियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करना चाहिए।
- परियोजना में सहभागिता की प्रवृत्ति, साझेदारी कार्य प्रणाली तथा समुदायों और वन विभाग के बीच समन्वय एवं विश्वास स्थापित करने की जरूरत है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजना कर्मियों की क्षमता विकसित किये जाने की जरूरत है।
- परियोजना दल में पर्याप्त सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह की जरूरत होगी और उन्हें समुदाय को संगठित करने के सिद्धांतों (जिनका इस अध्याय के प्रारंभ में उल्लेख किया गया है) का पालन करना होगा।

अध्याय 5: समुदाय को संगठित करने के चरण

इस भाग में समुदाय को संगठित करने के चरणों की व्याख्या की जाएगी। हालांकि समुदाय को संगठित करने की वास्तविक प्रक्रिया को एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 द्वारा अंजाम दिया जाएगा लेकिन डी0एम0यू0 और एन0एस0ओ0 कर्मियों को भी पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका मार्गदर्शन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्य अच्छी प्रकार निर्धारित विधि के अनुसार पूरा हो। इसके तहत कुछ गांवों में निर्धारित प्रक्रिया का प्रदर्शन करना भी शामिल हो सकता है।

यह प्रक्रिया संबंधित एन0एस0ओ0 के सहयोग एवं एफ0एम0यू0 के साथ मिलकर पी–एन0जी0ओ0 द्वारा बनाई गई कार्यकलापों की योजना के स्वरूप के पूर्ण होने के साथ शुरू होगी। डी0एम0यू0 पूरी प्रक्रिया का अनुमोदन करेगा और कार्यकलाप योजना की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए पी0एम0यू0 के माध्यम से पी0एम0सी0 के साथ संपर्क बना कर चलेगा।

समुदाय को संगठित करने के चरण इस प्रकार हैं–

5.1 पंचायती राज संस्थाओं का ओरियन्टेशन

परियोजना वनों के संवर्धन के साथ वन आश्रित परिवारों की आजीविका बढ़ाने पर केन्द्रित है। गांव के सम्पूर्ण विकास के लिए यह जरूरी है कि सरकार की अन्य योजनाओं को भी साथ में जोड़ा जाये। यह सभी योजनाएं पंचायत के जरिये क्रियान्वित की जा रही हैं, इसलिए यह जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस परियोजना की सम्पूर्ण जानकारी दी जाये और इसके क्रियान्वयन में शामिल किया जाए। उनके साथ बैठकें आयोजित की जाये जिसमें परियोजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हो।

5.2 स्थानीय नेतृत्व की सहमति और सहयोग

इस परियोजना में जिन गांवों का चयन किया गया है, वे वन विभाग के लिए नए नहीं हैं लेकिन परियोजना एक नयी पद्धति अपना रहा है जिसके तहत समुदाय की भागीदारी तथा गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाना प्राविधानित है। यह प्राविधान निश्चित रूप से समुदायों के सदस्यों के मन में परियोजना के प्रति स्वामित्व का बोध उत्पन्न करेगा। आप इस बात से सहमत होंगे कि ऐसे किसी भी कार्यकलाप को शुरू करने से पहले स्थानीय नेतृत्व को साथ लेना होगा और उनका समर्थन प्राप्त करना होगा। समुदायों को पूर्ण रूप से परियोजना मे शामिल करने हेतु यह एक मूलभूत आवश्यकता होगी।

स्थानीय नेतृत्व में पारंपरिक जातीय/जनजातीय नेता, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि और

धार्मिक गुरू शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्वसंचालित मतधारक भी होंगे जो गांव की विचारधारा को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ये सभी व्यक्ति परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा उनका सक्रिय सहयोग परियोजना के क्रियान्वयन में लाभदायक होगा। उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए–

- ग्राम में प्रवेश पाने एवं पांव जमाने के लिए स्थानीय नेतृत्व का समर्थन सहायक होगा।
- स्थानीय नेतृत्व का सहयोग आवश्यक है लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि स्थानीय नेताओं की प्राथमिकताएं और पूर्वधारणाएं परियोजना के मार्गदर्शक बिन्दु न बनें।
- स्थानीय नेतृत्व के साथ सम्मानपूर्वक पेश आयें, उन्हें उपयुक्त स्थान दें, उनके ज्ञान एवं समझ का पूर्ण उपयोग करें किन्तु परियोजना के उद्देश्य के मुताबिक उपयुक्त मार्ग तय करने में सदा अपने विवेक और समझ का प्रयोग करें।

एफ0एम0यू0 / पी–एन0जी0ओ0 के लिए मुख्य मार्गदर्शक बिंदु निम्न होंगे–

- ग्राम के नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करना।
- परिचय बैठक आयोजित करना – यह ध्यान रखें कि विभाग के कर्मचारियों को इन नेताओं से पहले से जान पहचान होगी पर परियोजना के बारे में उन्हें अवगत कराना होगा।
- ग्रामीणों को परियोजना के विवरण और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताना।
- नेताओं को समझाना कि परियोजना गांव के लिए आवश्यक है तथा यह गांववासियों की जरूरतों के अनुरूप है।
- ग्राम के सामाजिक–राजनीतिक एवं अन्य पहलुओं को समझना जिससे क्रियान्वयन रणनीति तैयार करने में मदद मिल पाए।

5.3 समुदाय में प्रवेश एवं घनिष्ठता निर्माण

स्थानीय नेतृत्व की सहमति और समर्थन से परियोजना ग्राम में प्रवेश कर पाएगी लेकिन समुदाय अभी एक कदम दूर है तथा उनके साथ संपर्क कायम करने के लिए थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत होगी।

समुदाय में प्रवेश के चरण इस प्रकार हैं –

- समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना।

- क्षमतावान नेताओं की पहचान।
- समुदाय को परियोजना के उद्‌देश्य, लक्ष्य, अवयव एवं सहभागिता पहल के बारे में सजग बनाना।
- समुदाय परियोजना के क्रियान्वयन में हिस्सा लेने के लिए कटिबद्ध हो।
- पहले से मौजूदा सूचनाओं की पुष्टि और उसके पूरक के लिए ग्राम एवं उसके निवासियों के सम्बन्ध में संग्रहित द्वितीयक आँकड़े।

घनिष्ठता की प्रक्रिया के दौरान सुगमकर्ता को औपचारिक रूप से ग्रामीणों के बारे में सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए जो नियोजन प्रक्रिया में उपयोगी हों। इन सभी बातों से सुगमकर्ता को इस चरण के अंत में परियोजना में सहभागिता पर आम सहमति हासिल करने के लिए ग्रामीणों के साथ काम करने में मदद मिलेगी। क्रियान्वयन दल, जिसमें एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 के कर्मचारी शामिल हैं, को आपके सहयोग से यहां संबंध स्थापित करना शुरू करना होगा जो सतत् औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से किया जा सकता है। बैठकों में चर्चा इन बातों पर केंद्रित होगी कि उन्हें प्रभावित करने वाली समस्याएं कौन सी हैं, यह परियोजना उनकी आवश्यकताओं के लिए कितनी प्रासांगिक है। इससे समस्याओं के समाधान तक पहुँचने में मदद मिलेगी। इस चरण में यह बात ध्यान रखें कि ग्रमीणों की तत्काल समस्याओं में कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनका परियोजना से वित्तीय आबंटन के बगैर ही समाधान किया जा सकता है और पहले उन पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में विलंबित भुगतान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को सब्सिडी प्राप्त राशन दिलाना, संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर पेयजल की समस्या दूर करना आदि शामिल हैं। इन कामों के लिए किसी धन की जरूरत नहीं होगी लेकिन इनसे समुदाय ओर परियोजना कर्मचारियों के बीच विश्वास कायम करने और संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी।

5.4 ग्रामीण संदर्भ का विश्लेषण

हालांकि ग्रामीण संदर्भ का विश्लेषण समुदाय प्रवेश और घनिष्ठता निर्माण के दौरान होगा लेकिन इस पर अलग से पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। गांव के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ को समझने से परियोजना को उसके अनुरूप ढालने और उपयुक्त रणनीति बनाने में सहयोग मिलेगा।

विश्लेषण में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होगी–

- पारंपरिक एवं निर्वाचित नेतृत्व ढांचे को समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कई बार इस तरह की परियोजना में नये ढांचे, जो तैयार होते हैं, पुराने की उपेक्षा करते हैं या उसे चुनौती देते हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। परियोजना के तहत निर्मित ढांचे के अंतर्गत लिए गए निर्णय परियेाजना विशिष्ट हो जाते हैं और वे गांव के विकास की उपेक्षा करते हैं।
- कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जिनमें समुदायों को विभिन्न प्रकार के समूहों में गठित किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके परियोजना ग्राम में भी स्वयं सहायता समूह, किसान संघ और साक्षरता दल जैसे समूह होंगे। परियोजनाकर्मी को मौजूदा समूहों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और आपके सहयोग से परियोजना में उनकी भागीदारी की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए। इन समूहों ने पहले से ही कुछ न कुछ क्षमता निर्माण कौशल हासिल किए होंगे, उनके अपने कुछ तंत्र होंगे और उनके ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें समूह गठन और उसकी क्षमता निर्माण का अनुभव होगा, ऐसे सदस्य परियोजना के क्रियान्वयन में अच्छे संसाधन सिद्ध होंगे।
- गांव की सामाजिक संरचना और सामाजिक समूहों के बीच अंतर–संबंध को समझ लेना समुदाय को संगठित करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सभी सामाजिक समूह विशेषकर पिछडे वर्ग के लोग इस परियोजना में सक्रियता से हिस्सा लें।

यद्यपि विश्लेषण एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 कर्मियों द्वारा किया जाएगा लेकिन उन्हें ऐसा करने और उसके लिए उपयुक्त प्राविधि तैयार करने के लिए प्रारम्भ में एन0एस0ओ0 तथा डी0एम0यू0 के मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत होगी।

5.5 एनीमेटर की पहचान और क्षमता निर्माण

हर गांव में एक एनीमेटर का चयन होगा जो परियोजना के दौरान समुदायों के साथ काम कर उसके क्रियान्वयन में परियोजना कर्मियों की सहायता करेगा तथा समुदाय को परियोजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा।

एनीमेटर का चयन एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 के द्वारा किया जायेगा। इस चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए–

- एनीमेटर की पहचान की प्रक्रिया उसी पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए जब परियोजना कर्मी

गाँव में प्रवेश करते हैं। एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 कर्मियों को हर गांव में क्षमतावान उम्मीदवारों (विशेषकर युवाओं) की सूची तैयार करनी होगी जो गाँव की बैठकों और परियोजना की प्रारंभिक गतिविधियों में सक्रिय एवं रचनात्मक ढंग से भाग ले रहे हों और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हों। ऐसा करना कठिन नहीं है किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि एनीमेटर बनने के लिए योग्य तथा परियोजना की अगुवाई करने में सक्षम व्यक्ति हमेशा परियोजना कर्मियों की बातों से सहमत नहीं होंगे। वे आप सब से अनेक सवाल कर सकते हैं लेकिन आप सब इस तथ्य से भिज्ञ होंगे कि प्रश्न करना एक सकारात्मक संकेत है और जो लोगों की जानकारी बढ़ाने के अतिरिक्त उनकी धारणाओं को अधिक स्पष्ट बनाता है।

- एनीमेटर परियोजना ग्राम का होना चाहिए।
- एनीमेटर से यह अपेक्षित है कि वह सहभागिता को प्रोत्साहन देकर और समुदायों में आत्मनिर्भरता की भावना जगाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अतः एनीमेटर का चयन शीघ्रतम होना परियोजना के लिए नितांत आवश्यक है।
- एनीमेटर सामाजिक बदलाव का प्रतिनिधि एवं उत्प्रेरक होगा जो अत्यंत महत्वूपर्ण भूमिकाएं निभाएगा तथा जिसका समुदाय के साथ अधिकतम संपर्क होगा। अतः यह आवश्यक है कि इस पद के लिए योग्यतम उपयुक्त व्यक्ति का चयन हो।
- एनीमेटर के चयन में महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि यह स्थापित तथ्य है कि वनों से सबसे अधिक संपर्क महिलाओं का ही होता है। महिलाओं से घनिष्ठ जुड़ाव एवं भागीदारी के बगैर परियोजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगी। एक महिला एनीमेटर के रहने से गांव की महिलाएं घरेलू परिसर से बाहर निकल कर परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित होंगी।
- एनीमेटर का चयन होने के पश्चात् उसका नियोजित रूप से क्षमता विकास करना होगा। यह मुख्यतः जॉब ट्रेनिंग (व्यवसाय प्रशिक्षण) होगी जो पी–एन0जी0ओ0 एवं एन0एस0ओ0 द्वारा परियोजना स्तर से सृजित ट्रेनिंग मास्टर प्लान के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

एनीमेटर महीने में कम से कम एक बार एफ0एम0यू0 को अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा तथा मासिक समीक्षा बैठकों में पूर्ण तैयारी एवं सक्रियता से भाग लेगा। उसे पहले एक साल के लिए अपने क्षेत्र के एफ0एम0यू0 से 1500 रूपये मासिक मानदेय प्राप्त होगा और दूसरे साल से परियोजना काल तक संबंधित जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 से 1500 रूपये मासिक मानदेय प्राप्त होगा।

5.6 वनाश्रित परिवारों की पहचान

एनीमेटर के चयन के बाद, परियोजना के क्रियान्वयन में अति महत्वपूर्ण कदम वनाश्रित परिवारों की पहचान है। ऐसे ग्राम जहॉ वनों पर निर्भरता अधिक है, उन्हें सर्वाधिक पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से परियोजना कार्य हेतु चुना गया है, और उसी तरीके से वनाश्रित परिवारों की पहचान भी किया जाना प्राविधानित है।

एनीमेटर के उत्तरदायित्व

- समुदाय आयोजन और संगठन को सुसाध्य बनाना
- परियोजना प्रबंधन के लिए एफ0एम0यू0 और जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 को सहायता प्रदान करना
- सामुदायिक स्तर कार्यकारी समूह को पर्याप्त सहायता और दिशा–निर्देश प्रदान करना
- परियोजना से संबंधित सभी सूचनाओं को समुदायिक स्तर पर सम्प्रेषित करना
- परियोजना के अंतर्गत आयोजित बैठक में अपनी समस्याओं को उठाने के लिए (विशेषकर पिछड़े वर्ग की) ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करना
- महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करना
- परियोजना के अंतर्गत शामिल स्वयं सहायता समूह के पोषण और लघु–वित्त एवं लघु–उद्यम गतिविधियों पर आधारित गतिविधियों की पहल के सम्बन्ध में सहयोग प्रदान करना
- क्षमता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्वयं सहायता समूह सदस्यों को संगठित करना
- क्रियान्वयन के हर स्तर पर परियोजना के अंतर्गत लक्ष्यांकित ग्रामों के ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- क्रियान्वयन के दौरान कार्यरत परियोजना कर्मियों को सहायता उपलब्ध कराना ताकि सामाजिक प्रक्रियाओं की अनदेखी न हो सके।

सभी वनाश्रित परिवार गठित वन उपयोगकर्ता समूह के अभिन्न अंग होंगे। अतः यह जानना आवश्यक है कि इन परिवारों की वनों पर निर्भरता किस प्रकार की है। वनाश्रित परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को निम्नांकित दो मूल पद्धतियों की सहायता द्वारा पहचाना जा सकता है–

सहज स्मरण पद्धतिः

इस पद्धति में सम्बन्धित परियोजना कर्मी वन क्षेत्रों के निकट के ग्राम में वनाश्रित परिवारों की वन निर्भरता की जानकारी ऐसे समुदायों, स्थानीय नेतृत्व, बुजुर्ग ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों से बातचीत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे परिवारों की पहचान की जा सकती है जिनकी आजीविका और भरण–पोषण वनों पर निर्भर है।

व्यवस्थित साक्षात्कार पद्धतिः

इस पद्धति में वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण शामिल है जिसमें प्रश्न–उत्तर प्रारूपों का भरकर सम्मिलित किया जाना भी शामिल है। इस प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों को कम्प्यूटर में एक उचित प्रारूप (जैसे एक्सल शीट इत्यादि) में दर्ज किया जाएगा। ये आंकड़े निश्चित तौर पर परियेाजना के विशेष उद्देश्यों के लिए विश्लेषण और संसाधन में सहायता प्रदान करेंगे।

5.7 कोर ग्रुप का चयन और गठन

अगला विशेष कदम वनाश्रित परिवारों में से एक विशेष समूह नामतः कोर ग्रुप का गठन करना है। परियोजना कर्मी, एनीमेटर की सहायता से महिलाओं सहित ऐसे 5 से 7 सदस्यों का चयन करेंगे जो परियोजना गतिविधियों के कियान्वयन में मददगार होंगे। कोर ग्रुप के सदस्यों में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए –

- प्रत्येक सदस्य कम से कम बेसिक शिक्षा प्राप्त होना चाहिए।
- प्रत्येक सदस्य में विकासात्मक गतिविधियों का ज्ञान और समझ होनी चाहिए।
- प्रत्येक सदस्य में वनाश्रित परिवारों का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए।

कोर ग्रुप का एक महत्वपूर्ण कार्य जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 और उनकी संगठनात्मक नीतियों के लिए उपनियमों का आलेख तैयार करने में एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 की मदद करना है। जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 प्रबंधन और प्रशासन की पुस्तिका को इन उपनियमों और नीतियों को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। परियोजना में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने अथवा बढ़ाने के लिए कोर ग्रुप परियोजना गतिविधियों के सम्पादन में एनीमेटरों की सहायता करेगा।

5.8 समुदायों का ओरियन्टेशन एवं आम सहमति बनाना

समुदायों में प्रभावी प्रवेश के समय ग्रामीणों को परियोजना से सम्बन्धित मूलभूत जानकारियां दी जा चुकी हैं जिससे उनमें परियोजना की यथोचित समझ विकसित हुई है और वे परियोजना कार्यों में भागीदार बन गये हैं। अब समुदाय ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहां उन्हें जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 का गठन करने के लिए ओरियन्ट होने एवं आम रूप से सहमत होने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है –

- परियोजना के कर्मचारी सदस्य ग्राम और समुदाय को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अब उन्हें परियोजना विवरणों को प्रसारित करने के लिए पुरवे स्तर पर बैठकों का आयोजन करना होगा। समुदाय के सदस्यों को अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बैठकों के दौरान विचार–विमर्श में गहनता एवं रोचकता होनी चाहिए तथा ऐसा सार्थक प्रयास होना चाहिए जिससे सभी भागीदारों में परियोजना की अच्छी समझ का विकास हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बैठक में भागीदारों की संख्या 30 से 40 के करीब होनी चाहिए और इन बैठकों में किसी भी परिवार के 2 से ज्यादा वयस्क नहीं होने चाहिए।
- पुरवे स्तर पर आयोजित ये बैठकें ग्राम अथवा अन्य उच्च स्तर पर ऐसी बड़ी बैठकों के आयोजन का मार्ग सुगम बनायेंगी जिनमें वन उपयोगकर्ता समूह का गठन किया जाएगा।
- बैठकों के अलावा, एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 कर्मचारी और एनीमेटर को एक नमूने के आधार पर परिवारों से सम्पर्क करना होगा।
- वनाश्रित परिवारों की सूची को ग्राम स्तर पर हुई बैठक में तैयार किया जाएगा परन्तु इन परिवारों का चिन्हीकरण बहुत पहले करना होगा (जैसा कि पूर्व अध्याय में उल्लेख कर दिया गया है)। वनाश्रित परिवारों का चिन्हीकरण और उनकी वनों पर निर्भरता की स्थिति को अच्छी तरह से समझना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सभी परिवारों में से प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य वन उपयोगकर्ता समूह के गठन के लिए आयोजित बैठक में भाग ले।

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 में प्राविधानित वन उपयोगकर्ता समूह के गठन की प्रक्रिया निम्नानुसार दी गई है :–

वन उपयोगकर्ता समूह का गठन

- वन रेंज अधिकारी (एफ0एम0यू0 अधिकारी) वन के निकट, यथास्थिति, गांव/गांवों या पुरवा/पुरवों के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान एवं समय पर न्यूनतम दस दिन की अग्रिम सूचना देकर एकत्रित होने के लिये बुलायेंगे।
- यदि निर्धारित समय और दिनांक पर आधे से कम परिवार ही एकत्रित होते हैं तो बैठक किसी आगामी दिनांक तक स्थगित कर दी जायेगी। यदि किसी कारणवश, लगातार दो बैठकों में परिवार के आधे सदस्य एकत्रित नहीं होते हैं, तो विशेष परिस्थिति के अधीन वन संरक्षक बैठक को मान्यता प्रदान कर सकते हैं।
- बैठक में ऐसे वयस्क व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी जो मूल रूप से अपने जीवन निर्वाह और आजीविका के लिये ग्राम वन पर आश्रित हैं, वनों के प्रबन्ध में रूचि रखते हैं और वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्य बनने के इच्छुक हैं।
- उक्त सूची में एक परिवार से एक से अधिक सदस्य को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्ति वन उपयोगकर्ता समूह का संयुक्त रूप से गठन करेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम/पुरवा/पुरवों के समूह के कुल परिवार का कम से कम 50 प्रतिशत का उक्त वन उपयोगकर्ता समूह में प्रतिनिधित्व होगा। विशेष परिस्थिति में सम्बन्धित वन संरक्षक इस उपबन्ध को शिथिल कर सकते हैं।
- वन रेंज अधिकारी यथासम्भव यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास करेगा कि वन उपयोगकर्ता समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्गों और ग्राम वन के अधिकारधारकों के समस्त परिवारों का प्रतिनिधित्व हो और भाग लेने वाले परिवारों के एक–तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाये।
- वन उपयोगकर्ता समूह इस नियमावली में यथा परिकल्पित अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रत्येक छः माह के पश्चात बैठक करेगा और न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

- कृप्या ध्यान दें –

1 : **वन उपयोगकर्ता समूह का गठन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के गठन की आधारशिला है अतः इसके गठन में आँकड़ों का संकलन करते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए।**

2 : **पार्टनर एन0जी0ओ0 के कर्मी और एनीमेटर एफ0एम0यू0 अधिकारी को वन उपयोगकर्ता समूह के गठन में पूरा सहयोग देंगे।**

5.9 जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 का गठन

5.9.1 जे0एफ0एम0सी0 का गठन

जे0एफ0एम0सी0 के गठन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण :

- वन उपयोगकर्ता समूह एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 की सहायता से जे0एफ0एम0सी0 सदस्यों का चयन करेगा
- चुने गये लोगों की सूची को ग्राम के एक सार्वजनिक और आसानी से पहुंचने वाले स्थल पर नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा
- सदस्यों द्वारा सुझाया गया कोई बदलाव और संशोधन एफ0एम0यू0 द्वारा सिर्फ बैठक में निष्पादित किया जाएगा
- सर्वसम्मति पर पहुंचने के बाद एफ0एम0यू0 द्वारा समिति के गठन के लिए आवेदन का एक आलेख तैयार किया जाएगा और उसे सम्बन्धित वन संरक्षक के पास भेज दिया जाएगा

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 के अनुरूप जे0एफ0एम0सी0 का संगठन निम्नवत् होगा :

संबंधित ग्राम का ग्राम प्रधान	पदेन संरक्षक
वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित सम्बन्धित ग्राम/ग्रामों या परवा/पुरवों का एक प्रतिनिधि	अध्यक्ष
वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा अपने में से सम्यक रूप से निर्वाचित दो महिला प्रतिनिधि	सदस्य
वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा अपने में से सम्यक रूप से निर्वाचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से एक प्रतिनिधि	सदस्य
वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में से सम्यक रूप से निर्वाचित पिछड़े वर्ग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
वन उपयोगकर्त्ता समूह द्वारा आपस में से सम्यक रूप से निर्वाचित दो ऐसे प्रतिनिधि जो वनोद्योग सम्बन्धी कार्यों में गहरी रूचि लेते हों	सदस्य
संबंधित वन रेंज अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक वनविद/वन रक्षक जिसके कार्यक्षेत्र में उक्त ग्राम वन आता हो	सदस्य सचिव

नवगठित जे0एफ0एम0सी0 का कार्यकाल पांच वर्षो का होगा। तत्पश्चात् वह कार्य करना बंद कर देगी और नवगठित समिति कार्य करना प्रारम्भ करेगी।

यह सुनिश्चित करना होगा कि जे0एफ0एम0सी0 सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक हो और वनाश्रित समुदाय के कमजोर वर्ग भी इसमें पूरी तरह शामिल हों। परियोजना का प्रमुख दायित्व जे0एफ0एम0सी0 पर निर्भर करेगा और पारदर्शिता के साथ चुनी गयी जे0एफ0एम0सी0 परियेाजना के लिए सही शुरूआत होगी।

5.9.2 विद्यमान जे0एफ0एम0सी0 का पुर्नगठन

परियोजना में 800 जे0एफ0एम0सी0 के गठन का लक्ष्य है जिसमें 337 विद्यमान जे0एफ0एम0सी0 भी शामिल हैं। इन विद्यमान समितियों को एन0ए0पी0 (राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम) और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अंतर्गत गठित किया गया था। इनमें से कोई भी जे0एफ0एम0सी0 उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए नई जे0एफ0एम0सी0 के गठन की प्रक्रिया को अपनाते हुए इनका पुनर्गठन किया जाएगा।

5.9.3 ग्राम वन का चिन्हीकरण, सीमांकन और अधिसूचना

ग्राम वन के चिन्हीकरण, सीमांकन और अधिसूचना की कार्यवाही जे0एफ0एम0सी0 के गठन के समानान्तर चलेगी। आदर्शतः जे0एफ0एम0सी0 को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से भागीदार होना चाहिए था लेकिन यहां पर यह मुद्‌दा बहुत अहम नहीं है क्योंकि ऐसे वन क्षेत्र जिन पर ग्रामीणों की निर्भरता है, चिन्हित हैं तथा वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्य (विशेषकर कोर ग्रुप के सदस्य) इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सम्मिलित होंगे।

वन क्षेत्र का चिन्हीकरण और सीमांकन करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना होगाः

- वनांश का क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)
- सीमायें :उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
- ग्राम वन की भूमि की विधिक प्रास्थिति (आरक्षित वन, सुरक्षित वन अथवा अन्य सरकारी भूमि)
- ग्राम/डाकघर, रेंज, पुलिस थाना, जिला

ग्राम वन का सीमांकन और मानचित्रण पारंपरिक पद्धतियों और/अथवा जीपीएस सर्वेक्षण के उपयोग के द्वारा किया जाएगा।

ग्राम वन क्षेत्र की अधिसूचना नीचे दिए गये निर्देशों के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) द्वारा की जाएगी :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन अधिसूचित कर दी गई है, अधिकार किसी ग्राम समुदाय को समनुदिष्ट कर सकेगी और ऐसा समनुदेशन रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित सब वन ग्राम वन कहलायेंगे।

- इस खण्ड के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार, के अधिदेशानुसार '' ग्राम वन '' से अभिप्राय एक वन भूमि से है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के धारा 28 के तहत परिभाषित है। उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–5 की मेमो संख्या 252/14–5–2008 दिनांक 29 अप्रैल, 2008 में प्राविधानित किया गया है :– उ0प्र0 ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली –2002 को राजकीय वन क्षेत्र के अन्तर्गत लागू करने हेत सीमाओ को चिन्हांकित करते हुए ग्राम वन को गठित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक को अधिकृत किया जाता है। इस गठन के बाद से वन उपज की हिस्सेदारी प्रारम्भ कर दी जाय। तदोपरान्त ग्राम वन के गठन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

5.9.4 ई0डी0सी0 का गठन

जे0एफ0एम0 और इको विकास ग्रामीणों के सशक्तिकरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं प्रेरित करने पर बल देता है। हालांकि, जैसा आप जानते हैं कि जे0एफ0एम0 के अंतर्गत ग्रामीण वन उत्पाद का एक हिस्सा प्राप्त करने के समर्थ होते हैं, वन्यजीव कानूनों में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों से मानवीय उपयोग के लिए वन उत्पाद को निकालना निषेध है। तथापि, पारिस्थितिकी–विकास परियोजना का उद्देश्य निर्धारित क्षेत्र में या उसकी परिधि में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। यह सभी संरक्षित क्षेत्र ग्रामीणों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत थे पर उनके अधिसूचन के बाद से अब लोग उन क्षेत्रों से न तो कोई वन उपज सकते हैं, और न ही उनमें प्रवेश कर सकते हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत इको–विकास के लिए चुने गये सात संरक्षित क्षेत्रों में 140 नयी ई0डी0सी0 (पारिस्थितिकी विकास समितियों) का गठन किया जायेगा और उन्हें सुदृढ़ बनाया जायेगा।

नई ई0डी0सी0 को उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय आदेश संख्या यूओ–84/14–पा भू–99–63/97, वन अनुभाग–4, दिनांक 21 मई 1999 के माध्यम से पारित उत्तर प्रदेश पारिस्थितिकी विकास संकल्प (UP Eco Development Resolution-1999) के अनुसार गठित किया जाएगा और परियोजना गतिविधियां इसके अनुरूप ही क्रियान्वित की जायेगी।

ई0डी0सी0 का गठन

- एफ0एमयू अधिकारी पी–एन0जी0ओ0 और एनीमेटर की सहायता से ग्राम पर्यावरण–विकास समिति के गठन के उद्देश्य से ग्राम/पुरवे के परिवारों को एक तय तिथि, समय और स्थान पर एकत्र होने के लिए सूचित करेगा। इस उद्देश्य के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।
- निश्चित तिथि, समय और स्थान पर यदि आधे से कम परिवार एकत्र होते हैं तो बैठक को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
- आहूत बैठक में एफ0एम0यू0 अधिकारी और उनका दल ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करेगा जो ई0डी0सी0 में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करेंगे। ई0डी0सी0 में प्रत्येक इच्छित परिवार से एक से ज्यादा सदस्य नामांकित नहीं किया जायेगा। परियोजना कर्मी इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे कि ई0डी0सी0 में सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गो और वनाश्रित गरीब परिवारों का प्रतिनिधित्व हो और इन परिवारों के प्रतिनिधियों की संख्या का 30 प्रतिशत महिलाओं का हो।
- इच्छित परिवारों के प्रतिनिधियों की सूची इस उद्देश्य के लिए बनाये गये रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और नई प्रविष्टि रजिस्टर में तभी दर्ज की जाएगी जब नया परिवार इसमें शामिल होने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करे। यह सूची ई0डी0सी0 का गठन का आधार होगी।
- ई0डी0सी0 एक अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के लिए चार सदस्यों का चयन करेगी, इनमें से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग और दो महिला सदस्य होंगे। यदि अध्यक्ष अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से चुने गऐ सदस्यों में से कोई एक महिला है, महिला सदस्य के लिए आरक्षित सीट को एक पुरूष सदस्य द्वारा भरा जा सकता है।
- एक वनविद को ई0डी0सी0 का सदस्य–सचिव एवं कोषाध्यक्ष के रूप में एफ0एम0यू0 अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा
- डी0एम0यू0 अधिकारी के रूप में आप कार्यकारी समिति के लिए एक एन0जी0ओ0 प्रतिनिधि को नामित करना होगा।
- समिति के लिए चुनाव हर तीन वर्ष बाद किए जायेंगें। ऐसा भी प्राविधान है कि यदि ई0डी0सी0 के दो–तिहाई सदस्य अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को हटाने की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित करते हैं तो समिति के लिए चुनाव इससे पूर्व भी कराए जा सकते हैं।

ई0डी0सी0 का संगठन निम्न होगा –

अध्यक्ष	ई0डी0सी0 सदस्यों द्वारा चयनित ग्राम का प्रतिनिधि
सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष	संबंधित एफ0एम0यू0 द्वारा नामित एक वनविद (वन दरोगा)
सदस्य	• दो महिला प्रतिनिधि • एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से • एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़े वर्ग से • डी.एम.यू. अधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि एन0जी0ओ0 से

5.10 जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 की भूमिकायें और उत्तरदायित्व

वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के कार्य और कर्तव्य इस प्रकार से होंगे:

- ग्राम वन के लिए माईक्रोप्लान और वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करना तथा उसे अनुमोदन के लिए वन उपयोगकर्ता समूह के समक्ष रखना
- अनुमोदित माईक्रोप्लान को क्रियान्वित करना और वनोद्योग सम्बन्धी कार्यों का यथा समय निष्पादन सुनिश्चित करना
- वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जन्तुओं और पर्यावरण व्यवस्था को नष्ट होने से रोकना
- यह सुनिश्चित करना कि ग्राम वन में कोई अतिक्रमण न हो और किसी वन भूमि का प्रयोग अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में न किया जाए
- वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना
- सीमा स्तंभों का संरक्षण और अनुरक्षण करना
- वन उपज का उपयोग वन उपयोगकर्ता समूह के लाभ के लिये सम्योचित रीति से करना
- ग्राम वन और उस पर वृक्षारोपण को वन प्रबन्ध योजना में यथा परिकल्पित अवैध पातन, छटाई, अग्नि तथा अन्य प्रकार की क्षति से संरक्षा करना
- केवल उन्हीं वृक्षों को गिराना जो वन संवर्धन के हित में उपलब्ध हों और प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित हों

- किसी विशिष्ट सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी गतिविधियों से जो वन के हित के विपरीत और अहितकारी हो, सम्बन्धित रेंज अधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी को अवगत कराना
- ऐसे अन्य कृत्यों का जिनमें अभिलेखों, दस्तावेजों और आय–व्ययक के लेखे का अनुरक्षण भी सम्मिलित है, पालन ऐसी रीति से करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए।

ई0डी0सी0 के कार्य और कर्तव्य इस प्रकार से होंगे :

- परियोजना के प्रति अन्य ग्रामीणों को जागरूक करना, प्रकृति संरक्षण की महत्ता, दीर्घकालिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं जैवविविधता संरक्षण की आवश्यकता
- परियोजना में ई0डी0सी0 के प्रत्येक सदस्य को शामिल करना और संरक्षित क्षेत्र संसाधनों की रक्षा
- ई0डी0सी0 की गतिविधियों के क्षेत्र में चलाए जा रहे वानिकी कार्यो से संबंधित सभी परियोजनाओं के सुचारू और समयबद्ध निष्पादन में वन विभाग कर्मचारियों की सहायता करना
- परियोजना कार्यो के लिए आवश्यक श्रमिकों के चयन/कार्य के मामले में संबंधित वन अधिकारियों और ई0डी0सी0 की सहायता करना
- ग्राम की पारिस्थितिकी–विकास लघु योजना और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं की तैयारी और स्वीकृति के लिए ई0डी0सी0 के आम निकाय द्वारा तय निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करने में सहायता करना
- संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्थाओं के पंजीयक के साथ सदस्यों का पेशा, नामों की सूची, पते प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित अवधि में दर्ज किए जायें
- यूपीपीफएमपीएपी परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ताकि ई0डी0सी0 के सदस्य इसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें
- निर्धारित प्रारूप में गतिविधियों और खातों के रिकार्ड रखना और इन रिकार्डो को निर्धारित/अधिकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराना

- वन/वन्यजीवों के हितों के लिए हानिकारक और प्रतिकूल पाए जाने वाले किसी खास सदस्य की गतिविधियों के बारे में संबंधित फएमयू अथवा एफ0एम0यू0 अधिकारी से रिपोर्ट करना, जिसके परिणामस्वरूप दोषी सदस्यों की सदस्यता रद्द भी की जा सकती है
- समय–समय पर संशोधित किए गये अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल किसी कार्य को रोकना
- अपराधियों सहित ई0डी0सी0 के दोषी सदस्य के खिलाफ अधिनियम के प्राविधानो, वन्यजीव अधिनियम और इसके लिए बने किसी भी नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने में रक्षित क्षेत्र अधिकारियों की सहायता करना

5.11 समझौता पत्र पर हस्ताक्षर

ग्राम वन के प्रबंधन के लिए जे0एफ0एम0सी0 राज्य सरकार के साथ एक समझौता करेगी। उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 में निर्धारित समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से इको डेवलपमेंट (पारिस्थितिकी विकास) संकल्प, 1999 पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पारिस्थितिकी–विकास गतिविधियों को चलाने के लिए ई0डी0सी0 राज्य सरकार के साथ भी एक समझौता करेगा, जो अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।

5.12 जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 का क्षमता विकास

जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 की क्षमता का एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 द्वारा आपकी सक्रिय भागीदारी से विकास किया जायेगा। परियोजना के विभिन्न घटकों को विस्तृत रूप से शामिल करते हुए परियोजना में पहले ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों को योजान्वित किया गया है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त एफ0एम0यू0 और पी–एन0जी0ओ0 कर्मचारी एवं एनीमेटर जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 के पोषण और परियोजना में प्रोत्साहित अन्य समूहों को करीबी सहायता प्रदान करेंगे। उनकी योजना की क्षमता, परियोजना गतिविधियो का क्रियान्वयन और अनुश्रवण एवं अन्य पहलुओं का विकास किया जाएगा और परियोजना दायित्वों को जल्द ही इन समूहों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

5.13 मतभेद प्रबंधन और निवारण

जे0एफ0एम0 और पारिस्थितिकी विकास, जो यूपीपीफएमपीएपी की रणनीतियों और पहुँच को निर्धारित करते हैं, नई अवधारणा नहीं है और वन विभाग के अनुभवी अधिकारी होने के नाते आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इन परिस्थितियों में कार्य कर चुके हैं। एन0जी0ओ0 कर्मी के नाते आपको जे0एफ0एम0 पर कार्य करने का सीमित अनुभव हो सकता है परन्तु अब आपको इसकी बुनियादी बातें सीखनी होंगी। वर्तमान में भारत में संयुक्त वन प्रबन्ध (जे0एफ0एम0) कार्यक्रम 106,482 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों (जे0एफ0एम0सी0) द्वारा क्रियान्वित किया गया है और इसमें देश के 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फैले 220 लाख हेक्टेयर वन शामिल हैं। हालांकि यह भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार दिखाता है, इसका यह भी अर्थ है कि इससे सीखने के लिए आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का बहुत समृद्ध अनुभव काफी करीब से उपलब्ध है और यह अनुभव बताता है कि जेफएम और पारिस्थितिकी विकास में टकराव आम है क्योंकि इसमें वन उपयोग से सम्बन्धित अनेक जटिलताएं एवं भिन्नताएं तथा असमान रूचियां हैं। किसी के लिए संरक्षण सबसे अहम चिंता का विषय है तो किसी के लिए जीवन और आजीविका प्रथम है और कुछ के लिए यह पूर्णतः व्यापार और धनोपार्जन है।

इसमें समुदायों के मध्य परस्पर टकराव, ग्रामों के मध्य टकराव, समुदाय और विभाग के बीच मतभेद आम हैं। ऐसी धारणा रखना कि परियोजना में किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा सच्चाई से परे है। लेकिन............ इसके लिए आप अपने को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और मतभेदों को पहचानने की क्षमता विकसित करके, उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करके, सही कारण का पता लगाकर और फिर उनका बेहतर प्रबन्ध करके मतभेदों के उभरने की संभावना को न्यूनतम कर सकते हैं।

इसके लिए आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें –

- स्पष्ट रूप से भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और अधिकारों को निर्धारित कीजिए।
- ग्राम के अंदर, ग्रमों के बीच, समुदाय और वन विभाग में विभिन्न स्तरों पर निरंतर वार्ता।
- सभी प्रयास समुदायों के कल्याण पर केन्द्रित हों और एक पूर्णतः सहभागी प्रक्रिया अपनायें
- वित्तीय प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता बनायें और यह सुनिश्चित करें कि सभी वित्तीय लेन–देन से सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो

- प्रबंधन, उपयोग और वन संसाधनों के बॅटवारे के लिए बिल्कुल स्पष्ट नियम बनायें।
- विवाद की स्थितियों से बचने के लिए कार्यप्रणाली बनायें।
- परियोजना क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में पंचायतों को सम्मिलित करना।

अध्याय 6: समुदाय को संगठित करने का अनुश्रवण

दिशानिर्देशों के साथ और समुदाय संगठन व्यवस्था की संपूर्ण प्रक्रिया में आपकी भूमिका जिस पर बार–बार जोर दिया गया है, एक निर्देशक, सुविधा प्रदाता और प्रबोधक की है। निर्देशन और सुसाध्य पक्षों को शामिल करने के बाद अब हम आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय संगठन की संपूर्ण प्रक्रिया के अनुश्रवण की बात करते हैं। परियोजना में अनुश्रवण और मूल्यॉकन व्यवस्था को पृथक रूप से आकार दिया जा रहा है जिसमें अनुश्रवण का ढांचा, सूचना प्रणालियों, एमआईएस, प्रमुख संकेतकों और अनुश्रवण एवं समीक्षा का समय और निर्धारित उत्तरदायित्वों के विवरण दिये जायेंगे। यह अध्याय समुदाय संगठन के अनुश्रवण को कुछ सामान्य प्रश्नों के आधार पर सीमित करेगा जैसे:

- क्या अनुश्रवण करना है?
- इसका अनुश्रवण किसे करना चाहिए?
- अनुश्रवण को कैसे किया जाना चाहिए?
- कितनी बार अनुश्रवण किया जाना चाहिए?

आइये... , एक–एक करके इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं :

क्या अनुश्रवण करना है?

- समुदाय संगठन की संपूर्ण प्रक्रिया का मात्रात्मक और गुणात्मक अनुश्रवण बड़े करीब से करना होगा
- मात्रात्मक संकेतक इस तरह के हो सकते हैं:
  - जे0एफ0एम0सी0, ई0डी0सी0 और अन्य गठित समुदाय आधारित संगठनों की संख्या
  - इन समूहों के सदस्यों की संख्या
  - समुदाय स्तर पर आयोजित स्थिति निर्धारण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या
  - विभिन्न पणधारक समूहों के साथ आयोजित बैठकों की संख्या
  - जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 और अन्य समूहों की बैठक की आवृत्ति और इन बैठकों मे शामिल होने वाले सहभागियों की संख्या। संख्या के अतिरिक्त, सहभागियों के सामाजिक संयोजन को भी दर्ज करना होगा

– चिन्हित और चुने गए स्थानीय एनीमेटरों की संख्या, इनमें से कितनी महिलाएं हैं

- **गुणात्मक संकेतक इस प्रकार के हो सकते हैं:**

– जे0एफ0एम0सी0, ई0डी0सी0 और अन्य समूहों का कार्य प्रदर्शन

– समुदाय बैठकों के दौरान विचार–विमर्श का स्तर और इसमें मुद्दों और कार्यों पर कितना ध्यान केन्द्रित रहा

– बैठकों के दौरान समुदाय की भागीदारी खासतौर पर महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी

– गांवो के अंदर और गांवों के बीच विवादों को निपटाने के लिए जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 द्वारा निभाई जा रही भूमिका

अनुश्रवण कैसे करना है और कौन करेगा?

समुदाय संगठन की प्रक्रिया के लघु अवधि और दीर्घावधि कार्यप्रदर्शन को मापने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतक विकसित किये जायेंगे। एक अच्छे जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 और अन्य समूहों की विशेषताएं परिभाषित करनी होंगी और परियोजना के विभिन्न हितधारकों के इस पर सहमत होने से यह उनकी कार्य प्रदर्शनों के आंकलन में संकेतकों के निर्धारण में सहायता करेगा। एक बार संकेतक निर्धारित हो गये, उसके बाद उनके वार्षिक एवं छः माह के लक्ष्य तय किये जायेंगे और उनके आधार पर प्रगति की समीक्षा छः माह पर आंतरिक और वार्षिक एक वाहय एजेन्सी द्वारा की जायेगी। इन समीक्षाओं में परियोजना के अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाएगा। आंतरिक अनुश्रवण और समीक्षाएं पी0एम0यू0 और पी0एम0सी0, डी0एम0यू0, एन0एस0ओ0 और समुदाय/जे0एफ0एम0सी0/ई0डी0सी0 प्रतिनिधियों के एक संयुक्त दल द्वारा की जाएगीं।

समुदाय सदस्यों और जे0एफ0एम0सी0 और ई0डी0सी0 सदस्यों की अनुश्रवण में भागीदारी परियोजना के प्रारम्भ से ही होगी और इसकी शुरूआत संकेतकों के विकास से, प्रक्रिया का निरन्तर अनुश्रवण और आवृत्ति समीक्षाएं करके एवं प्रभाव के आंकलन से की जाएगी।

समुदाय संगठन की प्रगति को जांचने और अनुश्रवण करने के लिए सूचना प्रणालियां और प्रारूपों का निर्माण किया जाएगा और सूचना के दायित्व एनीमेटर, पी–एन0जी0ओ0 और एफ0एम0यू0 के बीच विभाजित किए जायेंगे।

प्रदर्शन संकेतकों का निर्माण और सूचना प्रणालियों का नेतृत्व पी0एम0सी0 की सहायता से

पी0एम0यू0 द्वारा किया जाएगा और सभी हितधारकों को शामिल करते हुए यह एक सहभागी प्रक्रिया होंगी।

अनुश्रवण की आवृत्ति

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि समुदाय संगठन का अनुश्रवण समवर्ती आधार पर किया जायेगा और इस बात पर बल दिया जाएगा कि आंतरिक दलों के साथ वाह्य एजेन्सियों द्वारा संकेतको के कार्य प्रदर्शन की आवृत्तीय समीक्षायें की जायें।

आप इससे सहमत होंगे कि समुदाय संगठन कितना बेहतर हुआ है, यह इस बात का संकेतक है कि परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। इसको बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए और यह जानने के लिए कि यह अच्छा हुआ है या नहीं, इसका सूक्ष्म अनुश्रवण करना होगा जिससे इसकी मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को देखा जा सके। कृपया यह ध्यान दें कि गठित जे0एफ0एम0सी0 की संख्या अथवा आयोजित की गई बैठकों की संख्या ही केवल परियोजना प्रगति के बारे में नहीं बताएगी। हम इस परियोजना के जरिए वनों में सुधार, वनाश्रित समुदायों की आजीविका में सुधार चाहते है जिसे तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब समुदाय सशक्त, संगठित किया जाए और इसके लिये जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 लोकतांत्रिक, पारदर्शी, कुशल और प्रभावी तरीके से कार्य करें। आप या अन्य परियोजनाकर्मी इसे संभव बना सकते हैं, यदि आप अच्छी योजना बनायें, उसका अच्छा क्रियान्वयन करें, ढंग से अनुश्रवण करें और आप मुद्दों को समस्याओं में बदलने से पूर्व भाँप कर उनका समाधान करें।

अनुलग्नक – 1

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग–5
संख्या–2448 / 14–5–2002–109 / 93
लखनऊ : दिनांक : 28 दिसम्बर, : 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या XVI सन् 1927) की धारा 28 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 1997 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (एक) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002'' कही जायेगी।

(दो) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में, –

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 से है;

(दो) ''वार्षिक क्रियान्वयन योजना'' का तात्पर्य वार्षिक रूप से चलाये जाने वाले, माइक्रोप्लान के भौतिक और वित्तीय क्रियाकलापों के विवरण से है;

(तीन) ''प्रभागीय समिति'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 11 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये गठित समिति से है;

(चार) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से है;

(पाँच) ''वन उपयोगकर्ता समूह'' का तात्पर्य किसी ग्राम समुदाय अथवा ग्राम/ग्रामों अथवा 'पुरवा'/'पुरवों' के समूह में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिनका इस नियमावली के नियम 4 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए गठन किया गया है;

(छः) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(सात) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(आठ) ''ग्राम सभा'', ''ग्राम पंचायत'', ''प्रधान'', ''पंचायत क्षेत्र'', ''ग्राम'' और ''क्षेत्र पंचायत'', ''जिला पंचायत'' के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये समय–समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दिये गये हैं;

(नौ) ''संयुक्त वन प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य ग्राम वन के प्रबन्ध से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये नियम 5 के अधीन गठित किसी समिति से है;

(दस) ''संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का सदस्य–सचिव'' का तात्पर्य सम्बन्धित वन रेंज अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे वनविद या वनरक्षक से है जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत ग्राम वन पड़ता हो;

(ग्यारह) ''माइक्रोप्लान'' का तात्पर्य किसी ग्राम वन के प्रबन्ध की योजना से है;

(बारह) ''रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 9 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये गठित समिति से है;

(तेरह) ''अधिकार धारक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे कार्ययोजना/स्कीम में उल्लिखित वन में अधिकार प्रदान किये गये हों;

(चौदह) ''बीज धन'' का तात्पर्य संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की उस आय से है, जो सावधि जमा में रखी जा सकती है और भविष्य में वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों के कल्याण के लिये आय बढ़ाने वाले क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लायी जा सकती है;

(पन्द्रह) ''राज्य स्तरीय संचालन समिति'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 13 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये गठित समिति से है;

(सोलह) ''ग्राम वन'' का तात्पर्य ऐसी वन भूमि से है, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 में यथा परिभाषित है;

(सत्रह) 'कार्ययोजना/स्कीम'' का तात्पर्य भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सम्बन्धित वन प्रभाग की किसी प्रबन्ध योजना से है;

ग्राम वन का संयुक्त प्रबन्ध

3. ग्राम वन का प्रबन्ध वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति और वन विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा जो, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों पर प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट किये जायें, संयुक्त रूप से किया जायेगा। अधिकार धारकों के अधिकार यथावत बने रहेंगे।

वन उपयोगकर्ता समूह का गठन

4. (1) वन रेंज अधिकारी, वन के निकट, यथास्थिति, गाँव/गाँवों या पुरवा/पुरवों के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान एवं समय पर न्यूनतम दस दिन की अग्रिम सूचना देकर एकत्रित होने के लिये बुलायेंगे।

यदि निर्धारित समय और दिनांक पर आधे से कम परिवार ही एकत्रित होते हैं तो बैठक किसी आगामी दिनांक तक स्थगित कर दी जायेगी। यदि किसी कारणवश, लगातार दो बैठकों में परिवार के आधे सदस्य एकत्रित नहीं होते हैं, तो विशेष परिस्थिति के अधीन वन संरक्षक बैठक को मान्यता प्रदान कर सकते हैं।

(2) बैठक में ऐसे वयस्क व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी जो मूल रूप से अपने जीवन निर्वाह और आजीविका के लिये ग्राम वन पर आश्रित हैं, वनों के प्रबन्ध में रूचि रखते हैं और वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्य बनने के इच्छुक हैं। उक्त सूची में एक परिवार से एक से अधिक सदस्य को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्ति वन उपयोगकर्ता समूह का संयुक्त रूप से गठन करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम/पुरवा/पुरवों के समूह के कुल परिवार का कम से कम 50 प्रतिशत का उक्त वन उपयोगकर्ता समूह में प्रतिनिधित्व होगा। विशेष परिस्थिति में सम्बन्धित वन संरक्षक इस उपबन्ध को शिथिल कर सकते हैं।

वन रेंज अधिकारी यथासम्भव यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास करेगा कि वन उपयोगकर्ता समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्गों और ग्राम वन के अधिकारधारकों के समस्त परिवारों का प्रतिनिधित्व हो और भाग लेने वाले परिवारों के एक तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाय।

(3) वन उपयोगकर्ता समूह इस नियमावली में यथा परिकल्पित अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रत्येक छः माह के पश्चात बैठक करेगा और न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का गठन और कार्यकाल

5. (1) ग्राम वन के प्रबन्ध के लिये वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से एक संयुक्त वन प्रबन्ध समिति होगी। संयुक्त वन प्रबन्ध समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

(एक) सम्बन्धित ग्राम का ग्राम प्रधान – पदेन संरक्षक

(दो) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित सम्बन्धित ग्राम/ग्रामों या पुरवा/पुरवों का एक प्रतिनिधि – अध्यक्ष

(तीन) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में से सम्यक रूप से निर्वाचित दो महिला प्रतिनिधि – सदस्य

(चार) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में सम्यक रूप से निर्वाचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति से एक प्रतिनिधि– सदस्य

(पाँच) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में सम्यक रूप से निर्वाचित पिछड़े वर्ग का एक प्रतिनिधि – सदस्य

(छः) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में से सम्यक रूप से निर्वाचित दो ऐसे प्रतिनिधि जो वनोद्योग सम्बन्धी कार्यों में गहरी रूचि लेते हों – सदस्य

(सात) सम्बन्धित वन रेंज अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक वनविद/वन रक्षक जिसके कार्य क्षेत्र में उक्त ग्राम वन आता हो – सदस्य सचिव

(2) समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। तत्पश्चात् वह कार्य करना बन्द कर देगी और नवगठित समिति कार्य करना प्रारम्भ करेगी। गठन की प्रक्रिया पूर्ववर्ती समिति की कार्याविधि की समाप्ति से कम के कम एक माह पूर्व आरम्भ की जायेगी।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के कृत्य और कर्तव्य

6. वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य

होंगे :–

(1) (एक) ग्राम वन के लिये माइक्रोप्लान और वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करना तथा उसे अनुमोदन के लिये वन उपयोगकर्ता समूह के समक्ष रखना;

(दो) अनुमोदित माइक्रोप्लान को क्रियान्वित करना और वनोद्योग सम्बन्धी कार्यों का यथा समय निष्पादन सुनिश्चित करना;

(तीन) वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जन्तुओं और पर्यावरण व्यवस्था को नष्ट होने से रोकना :

(चार) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम वन में कोई अतिक्रमण न हो और किसी वन भूमि का प्रयोग अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में न किया जाय;

(पाँच) वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना;

(छः) सीमा स्तम्भों का संरक्षण और अनुरक्षण करना;

(सात) वन उपज का उपयोग वन उपयोगकर्ता समूह के लाभ के लिये साम्योचित रीति से करना;

(आठ) ग्राम वन और उस पर वृक्षारोपण को वन प्रबन्ध योजना में यथा परिकल्पित अवैध पातन, छटाई, अग्नि तथा अन्य प्रकार की क्षति से संरक्षा करना;

(नौ) केवल उन्हीं वृक्षों को गिराना जो वन संवर्धन के हित में उपलब्ध हों और प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित हों;

(दस) किसी विशिष्ट सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी गतिविधियों से जो वन के हित के विपरीत और अहितकारी हो, सम्बन्धित रेंज अधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी को अवगत कराना; और

(ग्यारह) ऐसे अन्य कृत्यों का जिनमें अभिलेखों, दस्तावेजों और आय–व्ययक के लेखे का अनुरक्षण भी सम्मिलित है, पालन ऐसी रीति से करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाय।

(2) अध्यक्ष, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के नाम से बनी अध्यक्ष की मुहर का प्रयोग संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के अन्य दो सदस्यों की उपस्थिति में ही कर सकेगा, जो उनकी उपस्थिति के

प्रमाण में हस्ताक्षर भी करेगा।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की शक्तियाँ

7. वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, ग्राम वन के संदर्भ में, निम्नलिखित शक्तियों का, जो उसे समनुदेशित हैं, प्रयोग कर सकेगी;

(एक) इस नियमावली के अधीन उठने वाले दावों के सम्बन्ध में वाद और कार्यवाहियाँ संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना;

(दो) इस नियमावली के अधीन स्थानीय वन उपज का वास्तविक उपयोग करना और चराई या घास काटने या गिरे हुए ईंधन को एकत्र करने के लिये, यदि आवष्यक समझा जाय, तो प्रभागीय वन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से अनुज्ञा पत्र जारी करना और फीस वसूल करना;

(तीन) ग्राम वन में पशुओं के प्रवेश और चरने को विनियमित करना;

(चार) इस नियमावली के अधीन, तेंदू पत्ता से भिन्न गैर प्रकाष्ठ वन उपज को एकत्र, उपयोग और बिक्री करना;

(पाँच) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की राय में ग्राम वन को अग्नि द्वारा या अन्यथा, कोई क्षति पहुँचाने का उत्तरदायी हो, ग्राम वन में सभी या किन्हीं विशेषाधिकारों से अपवर्जित करना;

(छः) वन अपराधों को करने में प्रयुक्त सभी औजारों या हथियारों का अधिग्रहण करना।

माइक्रोप्लान और वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार करना

8. (1) वन कर्मचारियों की सहायता से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा ग्राम वन के प्रबन्ध और संरक्षण के लिये पांच वर्ष की अवधि के लिए सम्बन्धित कार्ययोजना/स्कीम के अनुरूप एक माइक्रोप्लान तैयार किया जायेगा। माइक्रोप्लान प्रभागीय समिति द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने के पूर्व वन उपयोगकर्ता समूह द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में माइक्रोप्लान की समीक्षा की जायेगी और इसमें किसी भी संशोधन के लिये वन उपयोगकर्ता समूह का अनुमोदन और प्रभागीय समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) स्वीकृत माइक्रोप्लान के आधार पर ग्राम वन के प्रबन्ध और विकास के लिये संयुक्त वन

प्रबन्ध समिति इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में, प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी और इसे रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करेगी। रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति, वार्षिक क्रियान्वयन योजना को, प्रभागीय समिति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी।

रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति का गठन

9. (1) प्रत्येक रेंज में ग्राम वनों के प्रबन्ध के लिये रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति होगी। रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का प्रमुख (रेंज में एक से अधिक क्षेत्र पंचायत होने की दशा में, उस क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, जिसकी अधिकारिता संबंधित रेंज में वृहत्तम् हो) – पदेन संरक्षक

(दो) सम्बन्धित वन रेंज का वन रेंज अधिकारी – पदेन अध्यक्ष

(तीन) प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट वनविद/उप रेंजर – सदस्य सचिव

(चार) गैर सरकारी संगठन के अभिप्रेरकों/अन्य गैर सरकारी संगठन के सदस्यों में से प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य – सदस्य

(पाँच) सम्बन्धित रेंज की ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रधानों में से पदेन संरक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य – सदस्य

(छः) सम्बन्धित रेंज की ग्राम पंचायतों की महिला प्रधानों में से पदेन संरक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य – सदस्य

(2)समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, तत्पश्चात वह कार्य करना बन्द कर देगी और नव गठित समिति कार्य करना आरम्भ करेगी। गठन की प्रक्रिया, पूर्ववर्ती समिति की कार्यावधि की समाप्ति से कम से कम एक माह पूर्व आरम्भ की जायेगी।

10. रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति :–

(एक) रेंज में ग्राम वन के लिये वार्षिक योजना का परीक्षण और समेकन करेगी;

(दो) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कार्यों का अपने सदस्य सचिव द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सत्यापन करेगी;

(तीन) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा बही और अन्य अभिलेखों का अपने अध्यक्ष या सदस्य सचिव के माध्यम से निरीक्षण करेगी;

(चार) यह सुनिश्चित करेगी कि रेंज में समस्त संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग उचित और न्यायिक रूप से कर रही है। संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा किसी प्रकार की चूक होने की दशा में, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति तत्परता से हस्तक्षेप करेगी और मामले की रिपोर्ट प्रभागीय समिति को देगी;

(पाँच) प्रभागीय समिति को बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी; और

(छः) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो प्रभागीय समिति द्वारा सौंपे जायें।

प्रभागीय समिति का गठन

11. (1) प्रत्येक प्रभाग में ग्राम वनों के लिये एक प्रभागीय समिति होगी। प्रभागीय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) प्रभाग का प्रभागीय वन अधिकारी — अध्यक्ष

(दो) प्रभाग के निवासियों में से अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो वन उपयोगकर्ता समूह का सदस्य हो — सदस्य

(तीन) प्रभाग के निवासियों में से अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला, जो वन उपयोगकर्ता समूह का सदस्य हो — सदस्य

(चार) गैर—सरकारी संगठनों के सदस्यों में से प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति — सदस्य

(पाँच) प्रभाग के सहायक वन संरक्षक/उप प्रभागीय वन अधिकारी में से प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी — सदस्य सचिव

(2)समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, तत्पश्चात् वह कार्य करना बंद कर देगी और नवगठित समिति कार्य करना आरम्भ कर देगी। गठन की प्रक्रिया, पूर्ववर्ती समिति की कार्यावधि की समाप्ति से कम से कम एक माह पूर्व आरम्भ की जायेगी।

प्रभागीय समिति की शक्तियाँ और कृत्य

12. प्रभागीय समितिः—

(एक) ग्राम वनों के लिये माइक्रोप्लान और वार्षिक क्रियान्वयन योजना का परीक्षण करेगी और उन्हें स्वीकृत करेगी :

(दो) संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों और रेंज स्तरीय प्रबन्ध समितियों के कार्यों का अनुश्रवण और मार्ग दर्शन करेगी;

(तीन) यदि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का कोई क्रियाकलाप इस नियमावली के विपरीत हो, तो वन संरक्षक के अनुमोदन से उक्त समिति को भंग कर देगी; और

(चार) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जायें।

राज्य स्तरीय संचालन समिति

13. सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, राज्य में संयुक्त वन प्रबन्ध समिति में कार्यों का अनुश्रवण करने के लिये एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन कर सकती है।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति की बैठक

14. (1)संयुक्त वन प्रबन्ध समिति और रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार और प्रभागीय समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(2) बैठक में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास से बैठक स्थल तक आने–जाने के लिये केवल बस/द्वितीय श्रेणी रेलवे का किराया अनुमन्य होगा।

(3) इस सम्बन्ध में होने वाला समस्त व्यय माइक्रोप्लान के बजट से उपगत किया जायेगा।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया

15. (1)संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति प्रभागीय समिति के समक्ष आने वाले समस्त मामले उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चिय किये जायेगे।

(2)यथास्थिति संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति या प्रभागीय समिति के अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप

से निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3)संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की बैठक के लिये कम से कम सात दिन तथा रेंज स्तरीय प्रबंध समिति और प्रभागीय समिति की बैठक के लिये पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना सम्बन्धित समिति के सदस्यों को दी जायेगी। अपवादिक मामलों में, किसी भी समय दो दिनों की अल्प सूचना देकर एक आपात बैठक बुलायी जा सकती है।

(4)संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों से होगी और रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति के मामले में, गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(5)संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति या प्रभागीय समिति के समस्त विनिश्चियों को इस प्रयोजन हेतु रखे गये एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

निधियाँ

16. इस नियमावली के अधीन ग्राम वन के प्रबन्ध के लिये संयुक्त वन प्रबन्ध समिति निधियों की व्यवस्था करेगी। जहां तक सम्भव हो, निधियों की व्यवस्था सरकारी और गैर सरकारी श्रोतों से की जायेगी जिसके अन्तर्गत वन उपयोगकर्ता समूह, पुण्यार्थ संगठनों, वन आधारित उद्योगों या किसी अन्य स्वायत्तशासी संगठनों, जिनकी क्षेत्र के विकास में रूचि हो, का अंशदान भी है, और इसमें नियम 19 के अधीन प्राप्त आय भी सम्मिलित है।

लेखे का संचालन

17. (1)नियम 16 में निर्दिष्ट निधि सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में जमा की जायेगी और वह संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जायेगी।

(2)खाते से समस्त आहरण, संयुक्त वन प्रबंध समिति के पूर्वानुमोदन से किये जायेंगे और आहरित धनराशि और उपगत व्यय का विवरण वन उपयोगकर्ता समूह की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जायेगा।

(3) व्यय उपगत करने और उसके लेखा की प्रक्रिया समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

18 (1) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और सरकार के निर्देशों के अनुसार लेखे का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

(2) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के लेखे की लेखा परीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर की जायेगी।

आय का प्रभाजन

19 (1) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का अंश इस प्रकार होगा –

(क) इमारती लकड़ी, बांस और तेंदू पत्ता के मामले में शुद्ध आय का 50 प्रतिशत;

संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों से प्राप्त शुद्ध आय की गणना के लिये निम्न विधि अपनाई जायेगी:

(एक) निष्कासन, अपादान, एकत्रीकरण, भण्डारण, विपणन पर किये गये वास्तविक व्यय तथा अन्य अनुमन्य करों की गणना प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम और प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) उत्तर प्रदेश वन विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(दो) उपरोक्त का निर्धारण प्रतिशत उपरिव्यय होगा।

(तीन)कुल व्यय उपरोक्तानुसार (एक) व (दो) का कुल योग होगा।

विक्रय आगम में से उपरोक्त (तीन) में उल्लिखित धनराशि को घटा दिया जायेगा और शेष धनराशि को शुद्ध आय माना जायेगा। शुद्ध आय का पचास प्रतिशत सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा। शेष पचास प्रतिशत धनराशि रायल्टी मानी जायेगी, जो सरकार को देय होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि आपदाओं जैसे अग्नि, अधिक वृक्षों के सूखने, उखड़ने, कीड़ों के प्रकोप आदि से प्रभावित होकर भारी संख्या में पेड़ों के गिरने से हुई आय में से शुद्ध आय के मूल्य का केवल दस प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तक होगी, सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को प्रभाजित किया जायेगा।

प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भी, शुद्ध आय की गणना 19(1)(क) के अनुसार की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि बांस के क्षेत्रों में, यदि किसी कारणवश उत्तर प्रदेश वन निगम कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति वन उपज के निष्कासन, अपादान, एकत्रीकरण एवं विपणन का हकदार होगी तथा वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) उत्तर प्रदेश, वन विभाग द्वार निर्धारित रायल्टी का भुगतान करेगी।

विक्रय आगम से प्राप्त आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा।

(ख) तेंदू पत्ते से भिन्न गैर इमारती लकड़ी वन उपज के मामले में एक प्रतीक धनराशि का निर्धारण समय समय पर प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) उत्तर प्रदेश, वन विभाग द्वारा रायल्टी के रूप में किया जायेगा, जो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा सरकार को देय होगी और शेष धनराशि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी।

(ग) (एक) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, औषधीय जड़ी बूटियों व तेंदू पत्ते से भिन्न गैर इमारती लकड़ी वन उपज का एकत्रीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण व विपणन करने का हकदार होगी। विक्रय आगम के प्राप्त शुद्ध आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा करके की जायेगी।

(दो) औषधीय जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा, उत्तर प्रदेश वन निगम के पर्यवेक्षण में किया जायेगा और यथास्थिति, एकत्रीकरण, भण्डारण व प्रसंस्करण का भुगतान प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययाजना) वन विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा पारस्परिक रूप से, सहमत दर पर संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जायेगा।

इन जड़ी बूटियों का विपणन उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जायेगा।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को एकत्रीकरण, भण्डारण व प्रसंस्करण हेतु भुगतान की गयी धनराशि तथा वन विभाग द्वारा विपणन किये गये व्यय को घटाते हुए विक्रय आगम से प्राप्त शुद्ध आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण उत्तर प्रदेश वन निगम औषधीय जड़ी बूटियों का विपणन करने में असमर्थ रहता है, तो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति विपणन करने के लिये हकदार होगी। विक्रय आगम से प्राप्त आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा।

(2) नियम 19 के उप नियम (1)(क) के अनुसार संयुक्त वन प्रबन्ध समिति में जमा धनराशि का व्यय निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा –

(क) धनराशि के एक चौथाई भाग का वितरण वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों को किया जायेगा :

(ख) धनराशि के एक चौथाई भाग का प्रयोग संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा बीज धनराशि के रूप में किया जायेगा ;

(ग) धनराशि का न्यूनतम एक चौथाई भाग ग्राम वन के प्रबन्ध के लिये व्यय किया जायेगा ;

अवशेष धनराशि को सामुदायिक कार्यों पर व्यय किया जा सकता है।

(3) नियम 19(1)(क) के अनुसार प्रभाजित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का अंश संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा।

देयों की वसूली

20. इस नियमावली के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, ग्रामवासियों, अधिकारधारकों या किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय कोई धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

विद्यमान ग्राम वनों और संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों की प्रास्थिति

21. सभी विद्यमान वन जिन्हें उत्तर प्रदेष ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 1997 के अधीन इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व संयुक्त वन प्रबन्ध के लिये लिया गया था, इस नियमावली के अधीन समितियों के गठन तक इस नियमावली के अधीन सम्यक् रूप से प्रबन्धित और कार्य कर रहे समझे जायेंगे। इस नियमावली के अधीन परिकल्पित सभी समितियाँ, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से तीन माह के भीतर उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 के अधीन संगठित की जायेगी।

संलग्नक– परिशिष्ट–1
परिशिष्ट–2

आज्ञा से,
प्रमुख सचिव, वन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

सं. 2448(1)/14–5–2002–109/ /तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उत्क्त अधिसूचना को उ.प्र. सरकारी असाधारण गजट दिनांक 28.12.2002 के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड ख में प्रकाशित करने व उसकी 1000 प्रतियां शासन को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र.।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ.प्र.।
4. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ.प्र.।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक/उप निदेशक, उ.प्र.।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास), उ.प्र.।
9. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन।
10. सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
11. सचिव, ग्राम्य विकास, उ.प्र. शासन।
12. सचिव, उद्यान विभाग, उ.प्र. शासन।
13. निदेशक, कृषि विभाग, उ.प्र.।
14. निदेशक, उद्यान विभाग, उ.प्र.।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वन निगम।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उ.प्र.।
17. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से
(डा. के.के. झा)
विशेष कार्याधिकारी

परिशिष्ट एक

प्रपत्र–1

करार

(नियम 3 देखिये)

ग्राम वन के लिये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के बीच करार,

आज दिनांक ——————मास—————सन्————— को एक पक्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और दूसरे पक्ष में—————— संयुक्त वन प्रबन्ध समिति (जिसे आगे लाभार्थी कहा गया है) के बीच यह करार किया गया। चूंकि लाभार्थी ने प्रभागीय वन अधिकारी (जिसे आगे वन अधिकारी कहा गया है) से निवेदन किया है कि अनुलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिये सहमत है और चूंकि वन अधिकारी ने ऐसी जांच जैसी कि पर्याप्त और उचित समझी गयी, करने के पश्चात् अपना समाधान कर लिया है, और चूंकि वन अधिकारी और लाभार्थी ने संविदा करने के लिये नीचे दिये गये पारस्परिक आश्वासनों और वचनबद्धता से सहमत हो गये हैं, करार निम्न प्रकार साक्षित है :–

1. यह कि लाभार्थी अनुलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 और समय–समय पर इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी किये गये अन्य अनुदेशों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिये सहमत है।

2. यह कि यह करार इस संविदा पर हस्ताक्षर होने के दिनांक से पांच वर्ष या लाभार्थी और वन अधिकारी दोनों की आपसी सहमति से बढ़ाई गई अग्रतर अवधि के लिये विधि मान्य रहेगा।

3. यह कि लाभार्थी उसको आबंटित समस्त कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करने और स्वीकार करने और "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002" के अधीन प्रतिषिद्ध किसी ऐसे क्रियाकलाप को न करने, का पालन करेगा।

4. यह कि वन अधिकारी लाभार्थी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट ग्रामीणों को वन प्रबन्ध तकनीक में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध या उसकी व्यवस्था करेगा।

5. (एक) यह कि यदि लाभार्थी वन प्रबन्ध के लिये वन अधिकारी द्वारा जारी किये गये किन्हीं निर्देशों का या किसी ऐसे दायित्व का पालन करने में विफल रहता है जिसे निर्वहन के लिये

लाभार्थी बाध्य है तो वन अधिकारी वन प्रबन्ध संबंधी किसी भी या समस्त कार्यों को स्वविवेक से विभागीय तौर पर करवायेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिये लाभार्थी को कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा : परन्तु इसके लिये पर्याप्त कारणें को उल्लिखित किया जायेगा और जिसे "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002" के अधीन गठित प्रभागीय समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) यह कि यदि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति आवधिक रूप से इस नियमावली की धारा 18(2) में उपबन्धित नियमों के अनुसार अपना लेखा आडिट नहीं कराती है, ऐसी स्थिति में यह प्रभागीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु किसी प्रकार के व्यय का वहन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते से किया जायेगा।

6. यह कि यह करार किसी भी प्रकार भू–स्वामित्व को परिवर्तित नहीं करेगा और यह वैसा ही बना रहेगा जैसा कि इस करार को हस्ताक्षरित करने से पूर्व था।

7. यह कि "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002" इस करार का एक भाग होगी। नियमावली की एक प्रति संलग्न है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर हमारे हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण/साक्ष्य के रूप में है कि हमने इसे शब्द रूप में और भाव रूप में सम्यक रूप से पढ़/समझ लिया है और हम इसमें दिये गये समस्त निबन्धनों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

8. यह कि इस करार से किसी भी रूप में सम्बन्धित सभी विवाद और मतभेदों को सम्बन्धित वन संरक्षक की एकमात्र मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और इस करार के दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

9. जिसके साक्ष्य में इस करार के पक्षकारों ने इसके नीचे और इसमें इसके पश्चात् क्रमशः उल्लिखित दिनांकों को अपने–अपने हस्ताक्षर किये और अपनी मुद्रा अंकित की है :

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

1. संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का नाम ——————————————-
2. जिला / प्रभाग ——————————————
3. पुलिस थाना ——————————————
4. ग्राम / डाकघर ——————————————
5. रेंज ——————————————
6. ग्राम वन की भूमि की विधिक प्रास्थिति ——————————————
7. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ——————————————
8. सीमायें उत्तर —————पूरब—————
   दक्षिण —————पश्चिम—————

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधियो के हस्ताक्षर			साक्षियों के हस्ताक्षर		
क्रम सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर	क्रम सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर

वन अधिकारियों के हस्ताक्षर

क्रम. सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर

संख्या–252 / 14–5–2008

प्रेषक :

के. प्रवीन राव,

विशेष कार्याधिकारी,

उत्तर प्रदेश षासन।

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेषक,

उत्तर प्रदेश।

वन अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2008

विषय : उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली–2002 के प्राविधानों के अनुसार वन उपज से प्राप्त आय का विभाजन।

महोदय,

संयुक्त वन प्रबन्ध व्यवस्था से राजकीय वनों के प्रबन्धन में ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली–2002 प्रख्यापित की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक के पत्र संख्या–312 / पी.ए. / 36–टी–84 दिनांक 17–1–2008 के क्रम में उक्त नियमावली के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) उ.प्र. ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली–2002 को राजकीय वन क्षेत्र के अन्तर्गत लागू करने हेतु सीमाओं को चिन्हांकित करते हुए ग्राम वन को गठित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक को अधिकृत किया जाता है। इस गठन के बाद से वन उपज की हिस्सेदारी प्रारम्भ कर दी जाय। तदोपरान्त् ग्राम वन के गठन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) विभिन्न योजनाओं यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य श्रोतों से वित्त पोषण के अन्तर्गत

गठित विभिन्न संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों पर उक्त नियमावलियों के प्राविधान उस सीमा तक लागू होंगे, जिस सीमा तक गठित समिति का कार्य क्षेत्र ग्राम वन के अन्तर्गत आता है।

(3) नियमावली के नियम 19 में संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों से वन उपज के विदोहन एवं वन उपज से प्राप्त होने वाली आय को ग्राम समुदाय एवं वन विभाग के मध्य बंटवारे हेतु स्पष्ट प्राविधान किये गये हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। क्रियान्वयन प्रक्रिया संलग्नक में वर्णित है।

(4) वन उपज के विदोहन एवं बंटवारे के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा ग्राम वन घोषित होने के पश्चात् संयुक्त वन प्रबन्ध समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी के मध्य अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने की तिथि से ही संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को वन उपज के विदोहन एवं उससे प्राप्त होने वाली आय को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भवदीय,
(के. प्रवीन राव)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या–252(1)/14–5–2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उ. प्र., लखनऊ।
(2) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ.प्र., लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेषक, उ. प्र. वन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
(के. प्रवीन राव)
विशेष कार्याधिकारी

संलग्नक–1

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 के अन्तर्गत वन उपज के विदोहन एवं वन उपज से प्राप्त आय के विभाजन हेतु प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुरूप संयुक्त वन प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय के वितरण हेतु निम्न व्यवस्था अपनायी जाय :–

(1) संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों में विदोहन कार्ययोजना के प्राविधानों के अनुसार अनुमोदित सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से ही किया जाय। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम वन में उपलब्ध वन उत्पादों के सूची संधारित किया जाय एवं प्रत्येक क्षेत्र के सूक्ष्म नियोजन में विदोहन किए जा सकने योग्य वन उत्पादों का विस्तृत विवरण एक पंजिका में रखा जाय।

(2) संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्र में कार्ययोजना के प्राविधानों के अनुसार प्रकाष्ठ विदोहन, बांस एवं तेंदू पत्ता हेतु लाट बनाते समय निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जाय :–

अ– प्रत्येक संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्र के लिए वनोत्पादों यथा–प्रकाष्ठ,तेंदू पत्ता अथवा बांस (जैसी भी स्थिति हो) हेतु अलग–अलग लाट बनायी जाय। लाटों का अनुमानित मूल्य निर्धारण विभागीय प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

ब– उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा संयुक्त वन प्रबन्ध समिति हेतु देय शुद्ध आय को समिति के नाम व बैंक खाते में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जायेगा। ये ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित बैंक खाते का विवरण वन निगम को उपलब्ध कराया जाय।

(3) तेंदू पत्ता के अतिरिक्त अन्य गैर प्रकाष्ठ वन उत्पादों हेतु नियमावली के नियम संख्या–19(1)(ख) के अनुसार संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा वन विभाग को प्रतीक धनराशि का भुगतान करेगी। शेष धनराशि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी। प्रतीक धनराशि का निर्धारण नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(4) नियमावली के नियम संख्या–19–1(ग)(1) एवं 19–1(ग)(2) के अनुसार औषधीय पौधों का संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश वन निगम के दिशा निर्देशन में संयुक्त वन प्रबन्ध

समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त पर होने वाले व्यय का भुगतान, उ.प्र. वन निगम द्वारा समितियों को किया जायेगा। औषधीय पौधों का विपणन उ.प्र. वन निगम द्वारा किया जायेगा। विपणन से प्राप्त शुद्ध आय वन निगम द्वारा समितियों के खाते में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में उ.प्र. ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 का उल्लंघन न हो।

अनुलग्नक 2

<u>प्रपत्र 1</u>

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के बीच समझौता

यह करार एक ओर वन संरक्षक (जिसे आगे से वन संरक्षक के रूप में उल्लेखित किया गया है) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और दूसरी ओर ग्राम पारिस्थितिकी–विकास समिति (जिसे यहां लाभार्थी कहा जाता है) के बीच ————19——— / 20————के दिन———को हुआ। जहां लाभार्थी ने उपवन संरक्षक / मण्डलीय वन अधिकारी (जिसे संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक कहा जाता है) से अनुरोध किया है और पारिस्थितिकी–विकास उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प, 1997 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम में पारिस्थितिकी–विकास गतिविधियां अपने हाथ में लेने पर सहमत हुआ और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक ने ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद स्वयं को संतुष्ट पाया जिन्हें पर्याप्त और समुचित माना जाता है और जहां संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक एवं लाभार्थी करार का अनुबंध करने के लिए नीचे दिए गए वचन और परस्पर आश्वासनों पर सहमत हुए हैं जो इस प्रकार से हैं–

1. लाभार्थी पारिस्थितिकी–विकास पर उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प और संबंधित दिशानिर्देशों / आदेशों / इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों के साथ पारिस्थितिकी–विकास गतिविधियों को चलाने के लिए सहमत है।
2. यह समझौता इस अनुबंध पर हस्ताक्षर से पांच वर्षो की अवधि के लिए वैध होगा अथवा लाभार्थी और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक दोनों की आपसी सहमति के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता है।
3. लाभार्थी उसे आबंटित किए गये सभी कार्यो और कर्तव्यों को स्वीकार करेगा और उन पर कार्य करेगा और पारिस्थितिकी–विकास, 1999 पर उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प और सरकार के अन्य संबंधित आदेश / नियमों / दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की किसी भी गतिविधियों को अंजाम नहीं देगा।
4. आपसी रूप से सहमत गतिविधियों अथवा इसका कोई भी दायित्व जिसे निभाने के लिए लाभार्थी अनुबंधित है, को चला पाने में असमर्थ रहने पर इस गतिविधि के लिए लाभार्थी को

कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया गया है और इसे पारिस्थितिकी–विकास पर उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प के अंतर्गत संवैधानिक के रूप में संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी–विकास समिति द्वारा लिखित में उल्लेखित और विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है।

5. पारिस्थितिकी–विकास पर उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प इस समझौते का एक हिस्सा होगा। इसकी प्रति हमारे द्वारा हस्ताक्षर के बाद हर पृष्ठ पर संलग्न होगी ताकि यह इस बात का साक्ष्य हो कि हमने इसे अच्छी तरह पढ. लिया है और हम इसकी शर्तों और अनुदेशों से सहमत हैं।

6. इस समझौते से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और मतभेदों को संबंधित वनों के संरक्षकों के समक्ष मध्यस्थ–निर्णय के लिए भेजा जाएगा। ऐस मध्यस्थ–निर्णय का फैसला अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।

7. साक्ष्य के तौर पर, इस समझौते के पक्ष यहां निर्धारित है और इस संदर्भ में क्रमानुसार उल्लेखित तिथियों पर अपनी हस्त मोहर के साथ हस्ताक्षर कर चुके हैं।

अनुसूची–1

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का नाम
2. संरक्षित क्षेत्र का नाम
3. जिला
4. तहसील
5. डाकघर/पुलिस स्टेशन
6. रेंज
7. ग्राम की कानूनी स्थिति
8. क्षेत्र

पारिस्थितिकी–विकास समिति के प्रतिनिधियो के हस्ताक्षर			साक्षियों के हस्ताक्षर		
क्रम सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर	क्रम सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर

पी ए प्रबंधक के हस्ताक्षर

क्रम. सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर

8 : संक्षिप्तियाँ (ABBREVIATIONS)

%		प्रतिशत **Percentage**
बी.पी.एल. **BPL**		गरीबी रेखा से नीचे **Below Poverty Line**
सी.बी.ओ. **CBOs**		समुदाय आधारित संगठन **Community Based Organizations**
डी.एफ.ओ. **DFO**		प्रभागीय वनाधिकारी **Divisional Forest Officer**
डी.एल.ए.सी. **DLAC**		जिला स्तरीय परियोजना परामर्शदायी समिति **District Level Advisory Committee**
डी.एम.यू. **DMU**		प्रभागीय प्रबंध इकाई **Divisional Management Unit**
ई.डी.सी. **EDC**		पारिस्थतिकी विकास समिति **Eco-Development Committee**
ई.ओ.सी. **EOC**		विस्तार कार्यालय समन्वयक **Extension Office Coordinator**
ई.पी.ए. **EPA**		प्रवेश बिन्दु गतिविधियाँ **Entry Point Activities**
एफ.डी. **FD**		वन विभाग **Forest Department**
एफ.जी.डी. **FGD**		केन्द्रित समूह चर्चा **Focussed Group Discussion**

एफ.एम.यू. **FMU**		प्रक्षेत्र प्रबंध इकाई **Field Management Unit**
जी.पी. **GP**		ग्राम पंचायत **Gram Panchayat**
आई.ए.वाई **IAY**		इन्दिरा आवास योजना **Indira Awas Yojna**
आई.ई.सी. **IEC**		सूचना, शिक्षा एवं संचार **Information, Education and Communication**
आई.जी.ए. **IGAs**		आय सृजन गतिविधियाँ **Income Generation Activities**
आई.एम.आर. **IMR**		शिशु मृत्यु दर **Infant Mortality Rate**
जे.एफ.एम. **JFM**		संयुक्त वन प्रबंधन **Joint Forest Management**
जे.एफ.एम.सी. **JFMC**		संयुक्त वन प्रबंध समिति **Joint Forest Management Committee**
जे.आई.सी.ए. **JICA**		जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी **Japan International Cooperation Agency**
एम एंड ई **M & E**		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन **Monitoring & Evaluation**
एम.एम.आर. **MMR**		जच्चा मृत्यु दर अनुपात **Maternal Mortality Ratio**

एम.एन.आर.ई.जी.ए. **MNREGA**		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act**
एम.ओ.यू. **MoU**		सहमति ज्ञापन **Memorandum of Understading**
नाबार्ड **NABARD**		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक **National Bank for Agriculture and Rural**
एन.ए.ई.बी. **NAEB**		राष्ट्रीय वन–रोपण और पारिस्थितिकी–विकास बोर्ड **National Afforestation & Eco Development Board**
एन.ए.पी. **NAP**		राष्ट्रीय वन–रोपण कार्यक्रम **National Afforestation Programme**
एन.जी.ओ. **NGO**		गैर–सरकारी संगठन **Non Governmental Organization**
एन.आर.एम. **NRM**		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन **Natural Resource Management**
एन.एस.ओ. **NSO**		एन.जी.ओ. सहायता संगठन **NGO Support Organization**
एन.डब्ल्यू.एफ.पी. **NWFP**		गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद **Non Wood Forest Produce**
पी.ए. **PA**		संरक्षित क्षेत्र **Protected Area**
पी.डी.एस. **PDS**		सार्वजनिक वितरण प्रणाली **Public Distribution System**

पी.एम.सी. **PMC**		परियोजना प्रबंध परामर्शदात्री **Project Management Consultants**
पी.एम.ई.जी.पी. **PMEGP**		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम **Prime Minister Employment Generation Programme**
पी.एम.आर.वाई. **PMRY**		प्रधानमंत्री रोजगार योजना **Prime Minister Rozgar Yojna**
पी.एम.यू. **PMU**		परियोजना प्रबंध इकाई **Project Management Unit**
पी.आर.ए. **PRA**		सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन **Participatory Rural Appraisal**
पी.आर.आई. **PRI**		पंचायती राज संस्थायें **Panchayati Raj Institutions**
आर.बी.आई. **RBI**		भारतीय रिजर्व बैंक **Reserve Bank of India**
आर.ई.जी.पी. **REGP**		ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम **Rural Employment Generation Programme**
एस.जी.आर.वाई. **SGRY**		सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना **Sampoorna Gramin Rojgar Yojna**
एस.जी.एस.वाई. **SGSY**		स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना **Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna**
एस.एच.जी. **SHGs**		स्वयं सहायता समूह **Self Help Group**
यू.पी.पी.एफ.एम.पी.ए.पी. **UPPFMPAP**		उ0प्र0 सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना **U.P. Participatory Forest Management & Poverty Alleviation Project**